इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2026—माघ 3, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अभिलेष लता उपाध्याय पत्नी राजेन्द्र कुमार उपाध्याय (ABHILESH LATA UPADHYAY W/o. RAJENDRA KUMAR UPADHYAY), निवासी– एम.पी.ई.बी कॉलोनी के पास, ग्राम ढाना, मम्होरी, बीका, ढाना सागर (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री कृष्णा उपाध्याय की कक्षा 10वीं की मार्कशीट में मेरा नाम त्रुटिवश अभिलाषा उपाध्याय (ABHILASHA UPADHYAY) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अभिलेष लता उपाध्याय पत्नी राजेन्द्र कुमार उपाध्याय (ABHILESH LATA UPADHYAY W/o. RAJENDRA KUMAR UPADHYAY) मेरे समस्त दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री कृष्णा उपाध्याय की 10 वी अंकसूची में मेरा नाम अभिलेष लता उपाध्याय पत्नी राजेन्द्र कुमार उपाध्याय (ABHILESH LATA UPADHYAY W/o. RAJENDRA KUMAR UPADHYAY) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

प्रार्थिनी

(अभिलेष लता उपाध्याय)
(ABHILESH LATA UPADHYAY)
पत्नी– राजेन्द्र कुमार उपाध्याय
W/o. RAJENDRA KUMAR UPADHYAY.

(G-571)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नंदनी शर्मा पुत्री हरीश कुमार उदेनिया त्रुटिवश अंकित हो गया है. मेरा सही नाम राजनंदनी उदेनिया पुत्री हरीश उदेनिया है, जो कि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम नंदनी शर्मा पुत्री हरीश कुमार उदेनिया अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राजनंदनी उदेनिया पुत्री हरीश उदेनिया किया जावे.

पुराना नाम

(नंदनी शर्मा)
पुत्री हरीश कुमार उदेनिया

नया नाम

(राजनंदनी उदेनिया)
पुत्री– हरीश उदेनिया
निवासी– 50, ग्राम पोस्ट मल्हारगढ़, वार्ड क्र. 3,
तहसील मुंगावली, अशोकनगर (म.प्र.).

(G-572)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम तेजभान द्विवेदी (TEJBHAN DWIVEDI) पिता श्री शुभलक्ष्मण द्विवेदी है, जो मेरी समस्त शैक्षणिक अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है, जो कि सही है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम आदर्श द्विवेदी (ADARSH DWIVEDI) पिता श्री शुभलक्ष्मण द्विवेदी दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम तेजभान द्विवेदी (TEJBHAN DWIVEDI) पिता श्री शुभलक्ष्मण द्विवेदी के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा–लिखा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(आदर्श द्विवेदी)
(ADARSH DWIVEDI)

नया नाम
(तेजभान द्विवेदी)
(TEJBHAN DWIVEDI)
पिता– श्री शुभलक्ष्मण द्विवेदी
निवासी– ग्राम खजुहा खुर्द, पोस्ट महसांव,
तहसील गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.).

(G-573)

नाम परिवर्तन

मैं, उमासंकर कामेश्वरा नरसिम्हा वडरेऊ (UMASANKAR KAMESHWARA NARASIMHA VADREVU) पिता सिवाजी कामेश्वरा वडरेऊ, निवासी– ए 402, बीसीएम प्लेनेट, अपोसिट तुलसी नगर इन्दौर, (म.प्र). मेरा पूर्व में नाम उमांसंकर कामेश्वरा नरसिम्हा वडरेऊ (UMASANKAR KAMESHWARA NARASIMHA VADREVU) मेरे सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. मेरे द्वारा नाम परिवर्तन कर उमाशंकर चतुर्वेदी (UMASHANKAR CHATURVEDI) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे उमाशंकर चतुर्वेदी (UMASHANKAR CHATURVED) के नाम से ही जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(उमासंकर कामेश्वरा नरसिम्हा वडरेऊ)

नया नाम
(उमाशंकर चतुर्वेदी).

(G-574)

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र वासुकी पिता दयाराम वासुकी, निवासी– ग्राम आदेगांव, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.). मेरी पुत्री राजेश्वरी वासुकी का नाम मूल दस्तावेज में वैशाली वासुकी हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को राजेश्वरी वासुकी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढा एव दर्ज किया जावे.

आवेदक
(जितेन्द्र वासुकी).

(G-575)

नाम परिवर्तन

मैं, रामकृष्ण चमार आत्मज श्री परस राम, निवासी–16, ग्राम बेलनागढ़ी, पोस्ट अगरिया कलां, तहसील गैरतगंज जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा सही नाम रामकृष्ण चमार (RAMKRISHNA CHAMAR) है, परन्तु आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम रामकेश (RAMKESH) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम रामकृष्ण चमार (RAMKRISHNA CHAMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामकेश)
(RAMKESH)

नया नाम
(रामकृष्ण चमार)
(RAMKRISHNA CHAMAR).

(G-576)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम आरती (AARTI) पति महेश करोसिया है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर कार्ड पर दर्ज है. किन्तु मेरे नगरपालिक निगम, इन्दौर के सर्विस रिकार्ड मे मेरा नाम आरती (AARTI) पति वीरू दर्ज हो गया है, वीरू मेरे पति का बोलता नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा एवं मेरे पति का सही नाम आरती (AARTI) पति महेश करोसिया लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आरती) **(AARTI)** पति– वीरू	(आरती) **(AARTI)** पति– महेश करोसिया, पता– 63, हरिजन कॉलोनी, राजमोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).

(G-577)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम जानकी बाई वर्मा (JANKI BAI VERMA) पति गुलाबचंद्र वर्मा (GULAB CHANDR VERMA) है, जो कि मेरे आधार कार्ड पर दर्ज है, किन्तु मेरे एवं मेरे पति के कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर मेरे पति का नाम त्रुटिवश गुलाब कोरी (GULAB KORI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे एवं मेरे पति के सभी दस्तावेजों पर मेरे पति का सही नाम गुलाबचंद्र वर्मा (GULAB CHANDR VERMA) लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जानकी बाई वर्मा) **(JANKI BAI VERMA)** पति– गुलाब कोरी	(जानकी बाई वर्मा) **(JANKI BAI VERMA)** पति– गुलाबचंद्र वर्मा, पता– 289, आमकुंज कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-578)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम धन्ना सिंह (DHANNA SINGH) पिता हरचंद सिंह है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम जागीर सिंह (JANGIR SINGH) पिता हरचंद सिंह दर्ज हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम धन्ना सिंह (DHANNA SINGH) पिता हरचंद सिंह लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जागीर सिंह) **(JANGIR SINGH)**	(धन्ना सिंह) **(DHANNA SINGH)** पिता– हरचंद सिंह पता– 288/1, रिंग रोड, पिपलियाराव, इन्दौर (म.प्र.).

(G-579)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अनिल कुमार डागा (ANIL KUMAR DAGA) पिता मोहन लाल डागा है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पर दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम अनिलकुमार मोहनलाल डागा (ANILKUMAR MOHANLAL DAGA) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम अनिल कुमार डागा (ANIL KUMAR DAGA) पिता मोहन लाल डागा के नाम से जाना, पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनिलकुमार मोहनलाल डागा) **(ANILKUMAR MOHANLAL DAGA)**	**(अनिल कुमार डागा)** **(ANIL KUMAR DAGA)** पिता– श्री मोहन लाल डागा पता– 28, मीरा पथ, वल्लभ नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-580)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम फैलीराम पंवार (FAILIRAM PANWAR) पिता मांगीलाल पंवार था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर शंकर पंवार (SHANKAR PANWAR) पिता मांगीलाल पंवार कर लिया है, जो कि मेरे मतदाता परिचय–पत्र पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर फैलीराम पंवार के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम शंकर पंवार (SHANKAR PANWAR) पिता मांगीलाल पंवार लिखा–पढ़ा व इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(फैलीराम पंवार) **(FAILIRAM PANWAR)**	**(शंकर पंवार)** **(SHANKAR PANWAR)** पिता– मांगीलाल पंवार पता–85, ए.मायापुरी कॉलोनी, खजराना, इन्दौर (म.प्र.).

(G-581)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रियान कामानी (RIYAN KAMANI) पिता समीर कामानी है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम रियान समीर कामानी (RIYAN SAMEER KAMANI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम रियान कामानी (RIYAN KAMANI) पिता समीर कामानी लिखा– पढ़ा व इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रियान समीर कामानी) **(RIYAN SAMEER KAMANI)**	**(रियान कामानी)** (RIYAN KAMANI) पिता– समीर कामानी पता– फ्लैट न. 1006, ब्लॉक– बी, बी.सी.एम. पार्क, पिपलिया कुमार, इन्दौर (म.प्र.).

(G-582)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम घनी बाई (GHANI BAI) पति राजाराम है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम धनी बाई (DHANI BAI) पति राजाराम दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम घनी बाई (GHANI BAI) पति राजाराम लिखा– पढा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(धनी बाई)
(DHANI BAI)

नया नाम
(घनी बाई)
(GHANI BAI)
पति– राजाराम
पता– 328, नादर गली, हरसोला मह्, इन्दौर (म.प्र.).

(G-583)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रमेश तायडे (RAMESH TAYADE) पिता श्री दामुजी तायडे था, जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट में अंकित है, किन्तु मैंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर बोध्द धर्म की दिक्षा उपज्झाय भिक्खु सोबना महाथेरा जी से विलुवन विहार से ग्रहण की है, दिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित होकर चित्त रखिता (CITTA RAKHITA) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम चित्त रखिता (CITTA RAKHITA) उपज्झाय भिक्खु सोबना महाथेरा के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रमेश तायडे)
(RAMESH TAYADE)

नया नाम
(चित्त रखिता)
(CITTA RAKHITA).
उपज्झाय– भिक्खु सोबना महाथेरा
पता– 924/6, नेहरू नगर, इंदौर (म.प्र.).

(G-584)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरे पुत्र का नाम हर्षित कुमार नन्द (HARSHIT KUMAR NAND) पिता कौशल किशोर नन्द था. जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. मैंने मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर हर्षित सिंह नन्द (HARSHIT SINGH NAND) कर लिया है, किन्तु उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अथर्व कुमार नन्द (ATHARV KUMAR NAND) पिता कौशल किशोर नन्द दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका परिवर्तित नाम हर्षित सिंह नन्द (HARSHIT SINGH NAND) पिता कौशल किशोर नन्द लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(कौशल किशोर नन्द)
पता–177, सुखदेव नगर, एयरपोर्ट मार्ग, इंदौर (म.प्र.).

(G-585)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम मोहम्मद ओवैस कुरैशी (MOHAMMED OWAIS QURESHI) पिता नौशाद अली, माता शाहीना बी (SHAHINA BEE) है, जो कि उसके आधार कार्ड एवं कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में माता का नाम त्रुटिवश शाहीना अली (SHAHINA ALI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में माता का नाम शाहीना अली के स्थान पर शाहीना बी (SHAHINA BEE) लिखा–पढा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(नौशाद अली)
पता– 170, जवाहर मार्ग, मूकेरी पुरा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-586)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम रश्मी भावसार (RASHMI BHAVSAR) पिता श्री लक्ष्मीनारायण था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. श्री दीपक भावसार से विवाह के उपरान्त मेरा नाम ज्योती भावसार (JYOTI BHAVSAR) पति श्री दीपक भावसार हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम ज्योती भावसार (JYOTI BHAVSAR) पति श्री दीपक भावसार लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रश्मी भावसार)	**(ज्योती भावसार)**
(RASHMI BHAVSAR)	**(JYOTI BHAVSAR)**
पिता– श्री लक्ष्मीनारायण	पति– श्री दीपक भावसार
	पता– 104/2, कुलकर्णी का भट्टा, भागीरथ पुरा, इंदौर (म.प्र.).

(G-587)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम बाजपई कामीनी (BAJPEYI KAMINI) पिता बाजपई राजेन्द्र कुमार था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. श्री शैलेन्द्र मिश्रा से विवाह के उपरान्त मेरा नाम छाया मिश्रा (CHHAYA MISHRA) पति शैलेन्द्र मिश्रा हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम छाया मिश्रा (CHHAYA MISHRA) पति शैलेन्द्र मिश्रा लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बाजपई कामीनी)	**(छाया मिश्रा)**
(BAJPEYI KAMINI)	**(CHHAYA MISHRA)**
	पति– शैलेन्द्र मिश्रा
	पता– 51, समाजवाद नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-588)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मुकेश भाटिया (MUKESH BHATIYA) पिता बाबुलाल है, जो कि मेरे कुछ शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में त्रुटीवश मेरा नाम मुकेश भाटीवाल (MUKESH BHATIWAL) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम मुकेश भाटिया (MUKESH BHATIYA) पिता बाबुलाल लिखा–पढा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुकेश भाटीवाल)	**(मुकेश भाटिया)**
(MUKESH BHATIWAL)	**(MUKESH BHATIYA)**
	पिता– बाबुलाल
	पता– 83/2, लोधीपुरा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-589)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम लाखन कुशवाह (LAKHAN KUSHWAH) है. यही नाम मेरे राशन कार्ड, समग्र आई.डी. आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुराने आधार कार्ड, पैनकार्ड में मेरा नाम लाखन (LAKHAN) दर्ज है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कल्लू (KALLU) दर्ज हो गया है. लाखन/कल्लू और लाखन कुशवाह उक्त सभी मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम लाखन/कल्लू के स्थान पर लाखन कुशवाह (LAKHAN KUSHWAH) के नाम से जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(लाखन/कल्लू)

नया नाम

(लाखन कुशवाह)
(LAKHAN KUSHWAH)
पुत्र– किशन लाल
निवासी– मंशा पूरण, पोस्ट आफिस मंशा पूरण,
जिला शिवपुरी (म.प्र.).

(G-590)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अनंत सेंगर (ANANT SENGAR) है. यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम वैभव सेगर (VEBHAV SEGAR) दर्ज हो गया है. अनंत सेंगर (ANANT SENGAR) और वैभव सेगर (VEBHAV SEGAR) दोनों नाम मेरे पुत्र के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम वैभव सेगर (VEBHAV SEGAR) के स्थान पर अनंत सेंगर (ANANT SENGAR) पुत्र अनिल सिंह सेंगर पढ़ा–लिखा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अनिल सिंह सेंगर)
पुत्र– दुर्गा सिंह सेंगर
निवासी– भवर सिंह का बाड़ा, घास मंडी,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-591)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम आरती कुशवाह (ARTI KUSHWAH) है. यही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है. मेरी पुत्री का आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अनिता कुशवाह (ANITA KUSHWAH) दर्ज हो गया है. आरती कुशवाह (ARTI KUSHWAH) और अनिता कुशवाह (ANITA KUSHWAH) दोनों नाम पुत्री के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम अनिता कुशवाह (ANITA KUSHWAH) के स्थान पर आरती कुशवाह (ARTI KUSHWAH) पुत्री कोक सिंह कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कोक सिंह)
पुत्र– ओम प्रकाश
निवासी–भगेह (शिधपुरा), पोस्ट भगेह,
डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-592)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम तान्या गंगवानी (TANYA GANGWANI) है. यही नाम मेरे पुराने आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में दर्ज है, परन्तु मेरे द्वारा आधार कार्ड को अपडेट कराते समय त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम तरूणा थावानी (TARUNA THAWANI) दर्ज हो गया है. तान्या गंगवानी (TANYA GANGWANI) और तरूणा थावानी (TARUNA THAWANI) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम तरूणा थावानी (TARUNA THAWANI) के स्थान पर मेरा सही नाम तान्या गंगवानी (TANYA GANGWANI) के नाम से जाना– पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(तरूणा थावानी)
(TARUNA THAWANI)

नया नाम

(तान्या गंगवानी)
(TANYA GANGWANI)
पत्नी– मितेश गंगवानी
निवासी– समाधिया कॉलोनी, तारागंज,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-593)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राज प्रजापति (RAJ PRAJAPATI) है. यही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों में दर्ज है, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आरती (ARTI) दर्ज हो गया है. राज प्रजापति (RAJ PRAJAPATI) और आरती (ARTI) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम आरती (ARTI) के स्थान पर राज प्रजापति (RAJ PRAJAPATI) के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(आरती)
(ARTI)

नया नाम

(राज प्रजापति)
(RAJ PRAJAPATI)
पुत्र– हेमराज
निवासी– ग्राम मैथाना, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-594)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता (VINOD KUMAR GUPTA) है. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र नमन गुप्ता (NAMAN GUPTA) के शैक्षणिक एवं समस्त शासकीय/ अशासकीय दरतावेजों में मेंरा नाम विनोद गुप्ता (VINOD GUPTA) दर्ज है. विनोद कुमार गुप्ता (VINOD KUMAR GUPTA) और विनोद गुप्ता (VINOD GUPTA) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम विनोद गुप्ता (VINOD GUPTA) के स्थान पर विनोद कुमार गुप्ता (VINOD KUMAR GUPTA) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विनोद कुमार गुप्ता)
पुत्र– मुन्नालाल गुप्ता
पता– नेहरू पेट्रोल पंप के पीछे, पाटनकर का बाड़ा,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-595)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अरविन्द सिंह (ARVIND SINGH) है यही नाम मेरे पुराने आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, वोटर कार्ड आदि में दर्ज है, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शंकर लाल (SHANKAR LAL) दर्ज हो गया है. अरविन्द सिंह (ARVIND SINGH) और शंकर लाल (SHANKAR LAL) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शंकर लाल (SHANKAR LAL) के स्थान पर अरविन्द सिंह (ARVIND SINGH) पढ़ा–लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शंकर लाल)
(SHANKAR LAL)

नया नाम

(अरविन्द सिंह)
(ARVIND SINGH)
पुत्र– श्री गंगाराम
निवासी– ग्राम खुर्द की मडैया, पोस्ट असनेट, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-596)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम ईश्यादी खान (ISHYADI KHAN) है. यही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं समग्र आई.डी. आदि में दर्ज है, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रृटिवश मेरा नाम गुडडो (GUDDO) दर्ज है. ईश्यादी खान (ISHYADI KHAN) और गुडडो (GUDDO) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गुडडो (GUDDO) के स्थान पर ईश्यादी खान (ISHYADI KHAN) के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा– लिखा जावे.

पुराना नाम

(गुडडो)
(GUDDO)

नया नाम

(ईश्यादी खान)
(ISHYADI KHAN)
पत्नी– शरीफ खान
निवासी– कैथ वाला मोहल्ला, आपागंज, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-597)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम तनु गुप्ता (TANU GUPTA) है. यही नाम मेरी समग्र आई.डी. बैंक खाते आदि में दर्ज है, परन्तु मेरे द्वारा आधार कार्ड को अपडेट कराते समय त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम राखी गोयल (RAKHI GOYAL) दर्ज हो गया है. तनु गुप्ता (TANU GUPTA) और राखी गोयल (RAKHI GOYAL) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे राखी गोयल (RAKHI GOYAL) के स्थान पर मेरा नाम तनु गुप्ता (TANU GUPTA) के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा–लिखा जावे.

पुराना नाम

(राखी गोयल)
(RAKHI GOYAL)

नया नाम

(तनु गुप्ता)
(TANU GUPTA)
पत्नी– मनोज गुप्ता
निवासी– जगदम्बा कॉलोनी, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

(G-598)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम गोविन्द डहरवाल (GOVIND DAHARWAL) है. यही नाम मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम गोविन्द कुमार पारदे (GOVIND KUMAR PARDHE) दर्ज है. गोविन्द डहरवाल (GOVIND DAHARWAL) और गोविन्द कुमार पारदे (GOVIND KUMAR PARDHE) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गोविन्द कुमार पारदे (GOVIND KUMAR PARDHE) के स्थान पर गोविन्द डहरवाल (GOVIND DAHARWAL) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गोविन्द कुमार पारदे)
(GOVIND KUMAR PARDHE)

नया नाम

(गोविन्द डहरवाल)
(GOVIND DAHARWAL)
पुत्र– श्री किशनलाल डहरवाल
निवासी– गांधी चौक, टूरीया, पोस्ट टूरीया, सिवनी (म.प्र.).

(G-599)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम गिर्राज सिंह (GIRRAJ SINGH) है. यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है, परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम गिरधारी (GIRDHARI) दर्ज हो गया है. गिर्राज सिंह (GIRRAJ SINGH) और गिरधारी (GIRDHARI) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम गिरधारी (GIRDHARI) के स्थान पर गिर्राज सिंह (GIRRAJ SINGH) पढ़ा–लिखा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामू सिंह)
पुत्र– रामजी सिंह
निवासी– ग्राम बघोरा, पोस्ट बघोरा, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-600)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुमन सिकरवार (SUMAN SIKARWAR) है. यही नाम मेरे वोटर कार्ड एवं मेरे पति की शासकीय सेवा–पुस्तिका आदि में दर्ज है, परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रजनी (RAJNI) दर्ज है. सुमन सिकरवार (SUMAN SIKARWAR) और रजनी (RAJNI) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रजनी (RAJNI) के स्थान पर सुमन सिकरवार (SUMAN SIKARWAR) पढ़ा–लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रजनी)
(RAJNI)

नया नाम

(सुमन सिकरवार)
(SUMAN SIKARWAR)
पत्नी– प्रहलाद सिंह सिकरवार
निवासी– 129, ग्राम चचिहा, पोस्ट मुंद्रावजा, तह. जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-601)

नाम परिवर्तन

मैं, सुलोचना पत्नी श्री रामेश्वर, निवासी– ग्राम कुसमानिया, तहसील कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.). मेरा सही नाम सुलोचना (Sulochana) है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम संतरा बाई (Santra Bai) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम सुलोचना (Sulochana) से जानी–पहचानी जाउंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(संतरा बाई)	(सुलोचना)
(Santra Bai)	**(Sulochana).**

(G-602)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश मीना पुत्र श्री नानाराम मीना, निवासी– म.नं. 84, ग्राम दिलोरी पंचायत दिरोली, बडी उकावत, जिला गुना (म.प्र.). मेरा सही नाम रमेश मीना (Ramesh Meena) है, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मोहन सिंह (Mohan Singh) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम रमेश मीना (Ramesh Meena) से जाना–पहचाना एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(मोहन सिंह)	(रमेश मीना)
(Mohan Singh)	**(Ramesh Meena).**

(G-603)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील आत्मज श्री भूरा सिंह, निवासी– ग्राम अगरिया, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम अंश (Ansh) है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम कुश (Kush) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम कुश (Kush) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुनील)

(G-604)

नाम परिवर्तन

मैं, नाहरसिंह कलेश आत्मज श्री फेंदरिया, निवासी–फूलमाल अलीराजपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम नाहरसिंह कलेश (Naharsingh Kalesh) है, परन्तु त्रुटिवश मेरे बैंक खाता में मेरा नाम नगुडीया (Nagudiya) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम नाहरसिंह कलेश (Naharsingh Kalesh) के नाम से जाना–पहचाना जाऊंगा एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(नगुडीया)	(नाहरसिंह कलेश)
(Nagudiya)	**(Naharsingh Kalesh).**

(G-605)

नाम परिवर्तन

मैं, अंशिका ओझा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद ओझा, निवासी– वार्ड क्र. 01, बायपास रोड, आरोन, गुना (म.प्र.). मेरा सही नाम अंशिका ओझा (Anshika Ojha) है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंशुल ओझा (Anshul Ojha) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अंशिका ओझा (Anshika Ojha) के नाम से जानी पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(अंशुल ओझा)	(अंशिका ओझा)
(Anshul Ojha)	**(Anshika Ojha).**

(G-606)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name and name's correct spelling is Quayam Ali Badshah but in some of my documents and share certificates my Name and name's spelling was written as Quayamali Q Badshah, Badshah Quayamali, Quayamali Qurbanhusain Badshan, Badshah Quaymali, Quayamali Badshah, Quayamali Q Baddshah. So I want to correct it as a single name and spellings Quayam Ali Badshah. Henceforth my name shall be read and written as Quayam Ali Badshah for all purposes.

Old Name	New Name
(Quayamali Q Badshah)	**(Quayam Ali Badshah)** Add.- 35 Daggarwadi, Ramprasad Bhargav Marg, Gali No. 2, Kaliya Deh Gate, Ujjain (M.P.).

(G-607)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name and name's correct spelling is Shehnaz Badshah but in some of my documents and share certificates my Name and name's spelling was written as Shehnaz Q Badshah Shahnaj Badshah, Shenaz Q Badshah, Shehnaz Q Badshali, Badshah Shehanaz, Shehnaz G. Badshah Shenaz Quayamali Badshah Badshah Shehnaz Quayamali, Shehnaz Quayamali Badshah. So I want to correct it as a single name and spellings Shehnaz Badshah. Henceforth my name shall be read and written as Shehnaz Badshah for all purposes.

Old Name	New Name
(Shenaz Q Badshah)	**(Shehnaz Badshah)** Add.- 35 Daggarwadi, Ramprasad Bhargav Marg, Gali No. 2, Kaliya Deh Gate, Ujjain (M.P.).

(G-608)

CHANGE OF NAME

I, Hereby declare that my correct name is Bharti Jain, but in some of my documents and share certificates / demat account my name is written as Bharti Chandresh Jain, in which my husband's name added as my middle name. Henceforth my name shall be read and written as Bharti Jain for all purposes.

Old Name	New Name
(Bharti Chandresh Jain)	**(Bharti Jain)** W/o. Chandresh Jain Add.- 30/1 Rajaswa Colony, M.L. Nagar, Ujjain (M.P.).

(G-609)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम व नाम की सही स्पेलिंग मैंग्लीना (MANGLINA) है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम व नाम की स्पेलिंग मेगलीन (MEGLEEN) लिखी हुई है, जो गलत नाम व नाम की गलत स्पेलिंग है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड सहित सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम व नाम की सही स्पेलिंग मैग्लीना (MANGLINA) ही लिखी व पढ़ी जावे.

पुराना नाम
(मेगलीन)
(MEGLEEN)

नया नाम
(मैंग्लीना)
(MANGLINA)

निवासी– नया गांव एन.के.जे., एक्सेस बैंक एटीएम के पीछे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, मुरवारा, कटनी (म.प्र.).

(G-610)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अपर्णा साहा (Aparna Saha) है, जो कि मेरी अंकसूची व निर्वाचन पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में अंकित है. किन्तु त्रृटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अर्पणा साहा (Arpana Saha) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अपर्णा साहा (Aparna Saha) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

आवेदिका
(अपर्णा साहा)
(Aparna Saha)
पिता– वासुदेव साहा
पता– झोली, चिखलपति, बैतूल (म.प्र.).

(G-611)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम आश्रीथा सोमीसेट्टी (AASRITHA SOMISETTY) है, किन्तु त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में उसका नाम सोमीसेट्टी आश्रीथा लक्ष्मी साई (SOMISETTY AASRITHA LAKSHMI SAI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन के उपरान्त उसे आश्रीथा सोमीसेट्टी (AASRITHA SOMISETTY) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(सोमीसेट्टी श्रीकृष्णा)
निवासी– टी.डी.डब्ल्यु–050, ट्रेजर डिम्स, वेस्ट कॉलोनी, सूर्यदेव मंदिर, रंगवासा राऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-612)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम तरूण पाटीदार (Tarun Patidar) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता पहचान पत्र एवं मेरी हायर सेकेण्डरी अंकसूची में भी यही नाम दर्ज है, किन्तु मेरी हाई स्कूल (10वीं) की अंकसूची में मेरा नाम पाटीदार तरूण महेन्द्र (Patidar Tarun Mahendra) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे तरूण पाटीदार (Tarun Patidar) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(तरूण पाटीदार)
(Tarun Patidar)
पिता– महेन्द्र पाटीदार
पता– ग्राम घेगांव, पोस्ट घेगांव, ज़िला खरगोन (म.प्र.)

(G-613)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम जितेन्द्र बेरिया (Jitendra Beriya) था, जो कि अब परिवर्तित करके जितेन्द्र प्रजापति (Jitendra Prajapati) कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे जितेन्द्र प्रजापति (Jitendra Prajapati) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(जितेन्द्र बेरिया)

(Jitendra Beriya)

नया नाम

(जितेन्द्र प्रजापति)

(Jitendra Prajapati)

पिता– देवकरण प्रजापति

पता– 36, अक्षत नगर, बावड़िया, देवास (म.प्र).

(G-614)

नाम परिवर्तन

मैं, सुशील साकेत पुत्र श्री श्यामलाल साकेत, निवासी– ग्राम गोडहर पोस्ट ए.जी. कालेज रीवा, थाना चोरहटा, जिला रीवा (म.प्र). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं शैक्षिणक दस्तावेजों में त्रुटिवश कीर्ति सागर साकेत (KEERTI SAGAR SAKET) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर सागर साकेत (SAGAR SAKET) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सागर साकेत (SAGAR SAKET) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(सुशील साकेत)

पुत्र– श्री श्यामलाल साकेत.

(G-615)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम लोकेश कुशवाह पुत्र चरण सिंह कुशवाह (Lokesh Kushwah S/o. Charan Singh Kushwah), निवासी– ग्राम चपाड़िया खुकरिया, बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रोहित पुत्र चरण सिंह कुशवाह (Rohit S/o. Charan Singh Kushwah) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सहीं नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम लोकेश कुशवाह पुत्र चरण सिंह कुशवाह (Lokesh Kushwah S/o. Charan Singh Kushwah) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(चरण सिंह कुशवाह)

(G-616)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रीती सातल पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी, निवासी– ग्राम बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम मेरा शादी से पूर्व नाम पुष्पा माहेश्वरी पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी था, शादी के पश्चात मैंने अपना नाम परिवर्तन कर श्रीमती प्रीती सातल (PREETI SATAL) पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी कर लिया गया है. मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में भी सही नाम श्रीमती प्रीती सातल (PREETI SATAL) पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक, सामाजिक, व्यक्तिगत उत्तराधिकारी, संबंधी दस्तावेजों, समस्त बैंक खातों, चल–अचल संपत्ती में प्रीती सातल (PREETI SATAL) पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(प्रीती सातल)

(PREETI SATAL).

(G-617)

नाम परिवर्तन

मैं, सोनू चडार (Sonu Chadar) पिता स्व. श्री गणेश राम (Ganesh Ram), निवासी– 764, ग्राम आदमपुर छावनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय–पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सीपीसीटी एवं स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में मेरा वर्तमान नाम सोनू चडार अंकित है जो कि सही है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जाति प्रमाण–पत्र रिकॉर्ड में मेरा अधूरा नाम सोनू अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे 'सोनू चडार (SONU CHADAR)' के नाम से जाना–पहचना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(सोनू चडार)

पुत्र– स्व. श्री गणेश राम.

(G-618)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम Anshul Sharma है तथा मेरा यह नाम मेरे पासपोर्ट में अंकित है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम Anshul Sharma के स्थान पर Sagar Sharma अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे Anshul Sharma के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थी

(Anshul Sharma).

(G-619)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती पूजा ठाकुर पत्नी श्री मनमोहन ठाकुर, निवासी– 32, ग्राम मुड़रईकला, पोस्ट उसरी तहसील व जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में विवाह पूर्व का नाम पूजा धुर्वे (Pooja Dhurvey) पुत्री श्री लाल धुर्वे दर्ज है, चूंकि विवाह पश्चात् मेरा नाम पूजा ठाकुर (Pooja Thakur) पत्नी मनमोहन ठाकुर (Manmohan Thakur) हो गया है जो कि सही है, जो कि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम पूजा ठाकुर (Pooja Thakur) पत्नी मनमोहन ठाकुर (Manmohan Thakur) के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पूजा धुर्वे)	(पूजा ठाकुर)
(Pooja Dhurvey)	**(Pooja Thakur)**
पुत्री– श्री लाल धुर्वे	पत्नी– मनमोहन ठाकुर
D/o. Shri Lal Dhurve	W/o. Manmohan Thakur.

(G-620)

नाम परिवर्तन

मैं, रामपाल आत्मज रामौतार , निवासी– ग्राम बदनावर, तहसील खातेगांव जिला देवास (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम रश्मि (RASHMI) आत्मज रामपाल है. परन्तु पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम पूर्वी आत्मज रामपाल अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरी पुत्री को उसके सही नाम रश्मि (RASHMI) आत्मज रामपाल के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामपाल).

(G-621)

नाम परिवर्तन

मैं, दयाशंकर मीणा आत्मज देवीसिंह मीणा, निवासी– ग्राम सुकरवास, तहसील भैरूंदा जिला सिहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम अश्विनी मीणा (ASHWINI MEENA) आत्मज दयाशंकर मीणा है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम अक्शु मीणा आत्मज दयाशंकर मीणा अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम अश्विनी मीणा (ASHWINI MEENA) आत्मज दयाशंकर मीणा के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-622) **(दयाशंकर मीणा).**

नाम परिवर्तन

मैं, कपिल जाट आत्मज जगदीश जाट, निवासी– ग्राम सिराल्या बुजुर्ग, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम पृथ्वीराज जाट (PRITHVIRAJ JAT) आत्मज कपिल जाट है. परन्तु उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम पृथ्वीराज पटेल (PRATHVIRAJ PATEL) आत्मज कपिल जाट अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम पृथ्वीराज जाट (PRITHVIRAJ JAT) आत्मज कपिल जाट के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-623) **(कपिल जाट).**

नाम परिवर्तन

मैं, नन्हेभाई पिता श्री नवोंधर, निवासी– 119, मोहनपुर, पथरिया, सदगुवा, मोहनपुर, दमोह (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रामेश्वर कुर्मी पिता श्री नवोंधर (RAMESHWAR KURMI S/o. NAVONDHAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम नन्हेभाई पिता श्री नवोंधर (NANHEBHAI S/o. NAVONDHAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(नन्हेभाई)

(NANHEBHAI)

पिता– श्री नवोंधर

S/o. NAVONDHAR.

(G-624)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सानिया पिता रज्जाक खान (SANIYA D/o. RAJJAK KHAN) है, परंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम छमा जंहा पिता रज्जाक खान (Chhama Janha D/o. Rajjak Khan) दर्ज हो गया है. मेरे जन्म प्रमाण– पत्र एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अंकसूची में मेरा नाम सानिया पिता रज्जाक खान (SANIYA D/o. RAJJAK KHAN) दर्ज है और मैं सानिया पिता रज्जाक खान (SANIYA D/o. RAJJAK KHAN) नाम से जानी व पहचानी जाती हूं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सानिया पिता रज्जाक खान(SANIYA D/o. RAJJAK KHAN) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(सानिया)

(SANIYA)

पिता– रज्जाक खान

D/o. RAJJAK KHAN

पता– मकान नं. 05, वार्ड नं. 01, ग्राम व पोस्ट निमोटा,

(G-625) तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सरमन प्रसाद लुनिया पुत्र श्री कामता प्रसाद, निवासी– ग्राम शाहपुर, पोस्ट बिछुआ, जिला कटनी (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश पारूल सिंह पुत्र हीरा सिंह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम अनीश लुनिया पुत्र सरमन प्रसाद लुनिया है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनीश लुनिया पुत्र सरमन प्रसाद लुनिया के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सरमन प्रसाद लुनिया).

(G-626)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मनोज शर्मा (MANOJ SHARMA) पति रामवीर, निवासी– 104 बनिया पाडा शेखपुर, शेखपुर दीपैरा, जिला मुरैना (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश रामबती (RAMBATI) नाम दर्ज हो गया है. मेरा नाम मनोज शर्मा (MANOJ SHARMA) पति रामवीर है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय /अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नाम मनोज शर्मा (MANOJ SHARMA) पति रामवीर के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रामबती)

(RAMBATI)

नया नाम

(मनोज शर्मा)

(MANOJ SHARMA).

(G-627)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र माहिर पंजवानी व पुत्री प्रेरणा पंजवानी के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश माता का नाम सिया पंजवानी (SIYA PANJWANI) लिखा गया है, जिसे बदलकर दिव्या पंजवानी (DIVYA PANJWANI) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र व पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में माता का नाम दिव्या पंजवानी (DIVYA PANJWANI) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सिया पंजवानी)

नया नाम

(दिव्या पंजवानी)

पता– 213, द्वारकापुरी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-628)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम ममता हिरनी था, जो कि अब बदलकर ज्योति नानवानी पति पवन कुमार नानवानी हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे ज्योति नानवानी पति पवन कुमार नानवानी के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(ममता हिरनी)

नया नाम

(ज्योति नानावानी)

पता–ए–326, द्वारका पूरी, साई बाबा नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-629)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सोनिया शर्मा था, जो कि अब बदलकर सरोजनी शर्मा पति भगवानदास शर्मा हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सरोजनी शर्मा पति भगवानदास शर्मा के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सोनिया शर्मा)

नया नाम

(सरोजनी शर्मा)

पता–६–बी के सिंधी कॉलोनी,
गली नं. 05, इन्दौर (म.प्र.).

(G-630)

नाम परिवर्तन

मैं, विकास राजपूत ओढ पुत्र श्री मंगलदास राजपूत, निवासी– ग्राम सलापुरा नहर के पास, श्योपुर (म.प्र.). मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विकास राजपूत ओढ (VIKAS RAJPUT ODD) नाम त्रुटिवश अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम विकास राजपूत (VIKAS RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(विकास राजपूत)
(VIKAS RAJPUT).

(G-631)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम दीपक कुमार पिता देवी सिंह (DEEPAK KUMAR S/o. DEVEE SINGH), निवासी– म.नं. 76, वार्ड नंबर 04, पटोरी बकल, जिला कटनी (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश दिलीप कुमार लोधी पिता देवी सिंह (DEELIP KUMAR LODHI S/o. DEVI SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत हैं. मेरे पुत्र का सही नाम मेरे पुत्र की कक्षा 10 वीं की अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को दीपक कुमार पिता देवी सिंह (DEEPAK KUMAR S/o. DEVEE SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(देवी सिंह).

(G-632)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम श्री राम लोधी पिता श्याम लाल, निवासी– म.नं. 227, मोहतरा, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश श्री लाल पिता श्याम लाल (SRI LAL S/o. SHYAM LAL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे श्री राम लोधी पिता श्याम लाल (SHRI RAM LODHI S/o. SHYAM LAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(श्री राम लोधी)
(SHRI RAM LODHI)
पिता– श्याम लाल
S/o. SHYAM LAL.

(G-633)

नाम परिवर्तन

मैं, बाबुलाल पिता मोहनलाल मालवीय, निवासी– बरखेडाडांगी, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश अक्षय (AKSHAY) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों में अक्षरा (AKSHARA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में अक्षरा (AKSHARA) पिता बाबुलाल मालवीय के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बाबुलाल)
पिता– मोहनलाल मालवीय.

(G-634)

नाम परिवर्तन

मैं, लालाराम मीना पिता रतनलाल, निवासी– चिताखेडी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश सोकिन कुमार (SOKEN KUMAR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में नितेश (NITESH) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में नितेश (NITESH) पिता लालाराम मीना के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लालाराम मीना)

पिता– रतनलाल.

(G-635)

नाम परिवर्तन

मैं, बंशीलाल पिता कारुलाल मेघवाल, निवासी– ग्राम मुंदेडी, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश यशवंत (YASHWANT) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों जन्म प्रमाण–पत्र में जसवंत (JASWANT) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जसवंत (JASWANT) पिता बंशीलाल मेघवाल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बंशीलाल)

पिता– कारुलाल मेघवाल.

(G-636)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम माया कदम पति स्व. राजेन्द्र सिंदे, निवासी– 1342, पंचायती कुआं, गोलकपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश भारती सिंदे दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे मतदाता पहचान–पत्र में मेरा सही नाम माया कदम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे माया कदम पति स्व. राजेंद्र सिंदे (MAYA KADAM W/o. LATE RAJENDRA SINDE) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भारती सिंदे)	**(माया कदम)**
(BHARTI SINDE)	**(MAYA KADAM)**
पति राजेंद्र सिंद	पति– स्व. राजेंद्र सिंदे
W/o. RAJENDRA SINDE	W/o. LATE RAJENDRA SINDE.

(G-637)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम हिमानी जावलकर पिता स्व. अजय जावलकर (HIMANI JAWALKAR D/o. LATE AJAY JAWALKAR), निवासी– काजली, पोस्ट सहनगांव, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश हंशीका जावलकर D/o. बाली जावलकर (HANSIKA JAWLKAR D/o. BALI JAWALKAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही सही नाम मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री हिमानी जावलकर पिता स्व. अजय जावलकर (HIMANI JAWALKAR D/o. LATE AJAY JAWALKAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हंशीका जावलकर)	**(हिमानी जावलकर)**
(HANSIKA JAWLKAR)	**(HIMANI JAWALKAR)**
पिता– बाली जावलकर	पिता– स्व. अजय जावलकर
D/o. BALI JAWALKAR	D/o. LATE AJAY JAWALKAR.

(G-638)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री समृद्धि सिंहफरे के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम समर्धी फरे (SAMRDHEE FARE) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जिसे परिवर्तित कर सही नाम समृद्धि सिंहफरे (SAMRIDDHI SINGHFARE) पिता सतीश कुमार सिंहफरे कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को समृद्धि सिंहफरे पिता सतीश कुमार सिंहफरे के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सतीश कुमार सिंहफरे)
पिता– श्री चेन्या सिंहफरे
पता– 829, वार्ड नं.19, ग्राम जसवाडी,
तहसील एवं जिला खण्डवा (म.प्र.).

(G-639)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that my name is Rishikesh Pandey son of Jitendra Nath Pandey, but in my documents it is misspelt as Hrishikesh Pandey. I further declare that Rishikesh Pandey and Hrishikesh Pandey refer to one and the same person, that is myself. I hereby declare that after this publication. I shall hereafter be spelt, designated and addressed as Rishikesh Pandey.

Old Name

(Hrishikesh Pandey)

New Name

(Rishikesh Pandey).

(G-640)

नाम परिवर्तन

मैं, हुकम सिंह आत्मज नत्थू, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम हुकम सिंह आत्मज नत्थू अंकित है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कीरत सिंह आत्मज बुंदेल सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मुझे हुकम सिंह आत्मज नत्थू के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(हुकुम सिंह)
आत्मज– नत्थू

(G-641)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेश कुमार खंडेलवाल (Naresh Kumar Khandelwal), मेरे सभी शासकीय /अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नरेश कुमार खंडेलवाल है, जो कि सही है, परन्तु त्रुटिवश मेरे शेयर्स में मेरा नाम नरेश कुमार (Naresh Kumar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे नरेश कुमार खंडेलवाल के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(नरेश कुमार खंडेलवाल)
(Naresh Kumar Khandelwal).

(G-642)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम ताहिर लिखा है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में मेरे पुत्र का नाम रितिक भास्कर दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम रितिक भास्कर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र भास्कर)
पिता– मांगीलाल भास्कर
निवासी– ग्राम धुलकोट, तहसील धुलकोट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-643)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेंद्र कुमार गुप्ता (Narendra Kumar Gupta) आत्मज बद्रीप्रसाद. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नरेंद्र तथा कुछ में नरेंद्र कुमार चंदिल एवं अन्य में नरेंद्र कुमार गुप्ता अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे नरेंद्र कुमार गुप्ता के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नरेंद्र)	**(नरेंद्र कुमार गुप्ता)**
(Narendra)	**(Narendra Kumar Gupta).**
(नरेंद्र कुमार चंदिल)	
(Narendra Kumar Chandil)	

(G-644)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियंका बघेल (PRIYANKA BAGHEL) पत्नी श्री राजेन्द्र राजपूत. मेरा पूर्व का नाम कशिश राजपूत (KASHISH RAJPOOT) था. जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में प्रियंका बघेल पत्नी श्री राजेन्द्र राजपूत के नाम से जानी–पहचानी जाती हूं. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम कशिश राजपूत के स्थान पर प्रियंका बघेल लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कशिश राजपूत)	**(प्रियंका बघेल)**
	पत्नी– श्री राजेन्द्र राजपूत
	पता– न्यू सुर्यविहार कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-645)

नाम परिवर्तन

मैं, शारदा शुक्ला (SHARADA SHUKLA) पत्नी श्री ब्रजमोहन. मेरा पूर्व का नाम पुष्पा शर्मा (PUSHPA SHARMA) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में शारदा शुक्ला पत्नी श्री ब्रजमोहन के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ जो शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम पुष्पा शर्मा के स्थान पर शारदा शुक्ला लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पुष्पा शर्मा)	**(शारदा शुक्ला)**
	पत्नी– श्री ब्रजमोहन
	पता– रसोइया गली, कैलारस, मुरैना (म.प्र.).

(G-646)

नाम परिवर्तन

मैं, यादवेंद्र सिंह यादव (YADVENDRA SINGH YADAV) पुत्र श्री आत्माराम यादव. मेरे पुत्र का नाम राघव यादव (RAGHAV YADAV) है, त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में उसका नाम रुद्रप्रताप सिंह यादव (RUDRAPRATAP SINGH YADAV) गलती से लिख गया है, जो कि गलत है. वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को राघव यादव पुत्र श्री यादवेंद्र सिंह यादव के नाम से जाना–पहचाना जाता है, जो उसके शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त उसका नाम रुद्रप्रताप सिंह यादव के स्थान पर राघव यादव लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(यादवेंद्र सिंह यादव)
पता– ग्राम चोपरा, पोस्ट निचरौली,
जिला दतिया (म.प्र.).

(G-647)

नाम परिवर्तन

मैं, मुमताज बानो (MUMTAJ BANO) पत्नी जाकिर हुसेन. मेरा पूर्व का नाम फरीदा बानो (FARIDA BANO) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, मुमताज बानो पत्नी जाकिर हुसेन के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ, जो शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. मुमताज बानो एवं फरीदा बानो दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम फरीदा बानो के स्थान पर मुमताज बानो लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(फरीदा बानों)

नया नाम

(मुमताज बानो)
पत्नी– जाकिर हुसेन
पता– वॉर्ड नं. 1, किला रोड, विजयपुर, श्योपुर (म.प्र.).

(G-648)

नाम परिवर्तन

मैं, उत्तम सिंह (UTTAM SINGH) पुत्र श्री संतोष सिंह गुर्जर. मेरा पूर्व का नाम दिलीप गुर्जर (DILIP GURJAR) था, जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, उत्तम सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह गुर्जर के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, जो शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम दिलीप गुर्जर के स्थान पर उत्तम सिंह लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(दिलीप गुर्जर)

नया नाम

(उत्तम सिंह)
पुत्र– श्री संतोष सिंह गुर्जर,
पता– ग्राम महारामपुरा, धुआ, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-649)

नाम परिवर्तन

मैं, उन्मेद सिंह (UNMED SINGH) पुत्र श्री ओमप्रकाश. मेरा पूर्व का नाम उमेध (UMEDHA) था, जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में उन्मेद सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ , जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम उमेध के स्थान पर उन्मेद सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(उमेध)

नया नाम

(उन्मेद सिंह)

पुत्र– श्री ओमप्रकाश

पता– लहचूरा का पुरा, लहचूरा, मालनपुर, भिंड (म.प्र.).

(G-650)

नाम परिवर्तन

मैं, विद्या कुशवाह (VIDYA KUSHWAH) पत्नी श्री भोगीराम कुशवाह. मेरा पूर्व का नाम सामंती कुशवाह (SAMANTI KUSHWAH) था, जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में विद्या कुशवाह पत्नी श्री भोगीराम कुशवाह के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सामंती कुशवाह के स्थान पर विद्या कुशवाह लिखा एवं पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सामंती कुशवाह)

नया नाम

(विद्या कुशवाह)

पत्नी– श्री भोगीराम कुशवाह

पता– ऊपचा, विजयपुर, गरही, गाडी, श्योपुर (म.प्र.).

(G-651)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मेहर सर्विसेज जो ए–24, साई नगर, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02–42–01–00042–09, दिनांक 02 जुलाई 2009 है. जिसमे भागीदार अवनीश शर्मा पुत्र श्री अजय शर्मा, निवासी– फ्लेट नं. 501, कावेरी इन्क्लेव, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर एवं भागीदार मधु मिश्रा पत्नी श्री बॉवी मिश्रा, निवासी– जे 76, माधव नगर, ग्वालियर दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से दिनांक 26 दिसम्बर 2025 तक का हिसाब–किताब कर फर्म का विघटन (समापन) कर फर्म को बंद किया जा रहा है.

मेसर्स मेहर सर्विसेज

अवनीश शर्मा

(भागीदार)

पता– ए–24, साई नगर हरिशंकरपुरम,

ग्वालियर (म.प्र.)

(G-652)

नाम परिवर्तन

मैं, रिया खत्री (RIYA KHATRI) पत्नी श्री कपिल कुमार खत्री. मेरा विवाह पूर्व का नाम कोमल भाटिया (KOMAL BHATIYA) पुत्री किशनचंद भाटिया था. जो मेरे पोस्ट ऑफिस कि आर.डी. बैंक खाता एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में रिया खत्री पत्नी श्री कपिल कुमार खत्री के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रिया खत्री एवं कोमल भाटिया दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम कोमल भाटिया के स्थान पर रिया खत्री लिखा एवं पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कोमल भाटिया)

नया नाम

(रिया खत्री)
पत्नी– श्री कपिल कुमार खत्री
पताः– सी–10, न्यू श्री कृष्ण कॉलोनी,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-653)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम फरहीन खान पुत्री श्री सलीम खान, शादी के पूर्व का नाम है. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, वोटर कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम फरहीन खान पुत्री श्री सलीम खान अंकित है. मेरा नाम शादी के पश्चात् परिवर्तित होकर नया नाम दर्शिका जैन पत्नी श्री दीपेश जैन कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे दर्शिका जैन पत्नी श्री दीपेश जैन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(फरहीन खान)

नया नाम

(दर्शिका जैन)
पत्नी श्री दीपेश जैन
पता– फ्लेट नं.–411 जी.एम.आर. गोल्डन पाम सोसायटी,
मिसरोद भोपाल (म.प्र.).

(G-654)

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र शर्मा, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम तेजस शर्मा (TEZASH SHARMA) अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम प्राज्ञन्य शर्मा (PRAGNYA SHARMA) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में प्राज्ञन्य शर्मा (PRAGNYA SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र शर्मा)
पता– म. नं. बी–28, होशंगाबाद रोड,
निर्मल स्टेट मिसरोद, भोपाल (म.प्र.).

(G-655)

नाम परिवर्तन

मैं, मो. शफीक खाँ, परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम शहवान खाँ (SHAHWAN KHAN) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में अरसान खान (ARSAN KHAN) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अरसान खान (ARSAN KHAN) के नाम से सभी शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शहवान खाँ)
(SHAHWAN KHAN)

नया नाम

(अरसान खान)
(ARSAN KHAN)
पिता– मो. शफीक खाँ
पता– ग्राम बराखेडा, पोस्ट मिर्जापुर,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-656)

नाम परिवर्तन

मैं, बारेलाल लोधी, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दलीप सिंह (DALIP SINGH) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे परिचय–पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में बारेलाल लोधी (BARE LAL LODHI) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम बारेलाल लोधी (BARE LAL LODHI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(दलीप सिंह)
(DALIP SINGH)

नया नाम

(बारेलाल लोधी)
(BARE LAL LODHI)
पिता– दिलीप सिंह
पता– 25, टेहरी मुरपार, ग्राम–टेहरीमुरपार, पापड़ा,
गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-657)

नाम परिवर्तन

मैं, रेशू ताम्रकार, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम तुलसी ताम्रकार (TULASI TAMRAKAR) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में रेशू ताम्रकार (RESHU TAMRAKAR) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम रेशू ताम्रकार (RESHU TAMRAKAR) के नाम से सभी शासंकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(रेशू ताम्रकार)
(RESHU TAMRAKAR)
पति– अनिल ताम्रकार
पता– 205, वॉर्ड नं.–12, शिवपुरी मोहल्ला,
ओम्कारेश्वर, पूर्व निमाड़ (म.प्र.).

(G-658)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेंद्र ठाकुर, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अभय कुमार द्विवेदी (AVAY KUMAR DIWEDI) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे परिचय–पत्र, समग्र आई.डी. में राजेंद्र ठाकुर (RAJENDRA THAKUR) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राजेंद्र ठाकुर (RAJENDRA THAKUR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(राजेंद्र ठाकुर)
(RAJENDRA THAKUR)
पिता– हल्के
पता– 25, ग्राम सईदपुर, रजपुरा, गैरतगंज,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-659)

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक सही नाम पूजा (POOJA), निवासी– ग्राम मोकलपुर, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश लीलाबाई अहिरवार (LEELABAI AHIRWAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी कक्षा 10 वीं की अंकसूची में मेरा सही नाम पूजा (POOJA) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे पूजा (POOJA) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लीलाबाई अहिरवार)	**(पूजा)**
(LEELABAI AHIRWAR)	**(POOJA).**

(G-660)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम साहिल गुर्जर (SAHIL GURJAR) पिता तुलसीराम गुर्जर, निवासी– वार्ड क्र 05, गांव सिरपन, तहसील – पिपरिया जिला होशंगाबाद (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश गौरव गुर्जर (GAURAV GURJAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरी कक्षा 10 वीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र व पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे साहिल गुर्जर पिता तुलसीराम गुर्जर (SAHIL GURJAR S/o. TULSIRAM GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गौरव गुर्जर)	**(साहिल गुर्जर)**
(GAURAV GURJAR)	**(SAHIL GURJAR).**

(G-661)

नाम परिवर्तन

मैं, विष्णु भिलाला (Vishnu Bhilala) पुत्र प्रभु लाल (Pabhu Lal), निवासी– ग्राम भीलवाड़िया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम दिनेश कारर्पेंटर (Dinesh Carpenter) केयर ऑफ प्रभुलाल (Prabhulal) अंकित है, जो त्रुटिवश दर्ज हो गया है. किन्तु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम विष्णु भिलाला (Vishnu Bhilala) पुत्र प्रभु लाल (Pabhu Lal) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दिनेश कारर्पेंटर)	**(विष्णु भिलाला)**
(Dinesh Carpenter)	**(Vishnu Bhilala)**
केयर ऑफ प्रभुलाल	पुत्र– प्रभु लाल
(Prabhulal)	**(Pabhu Lal).**

(G-662)

नाम परिवर्तन

मैं, संगीता कटारा (Sangeeta Katara) पत्नी स्व. श्री राजू, मेरा पुत्र कमल कटारा (Kamal Katara) है, जिसके आधार कार्ड में उसका नाम कमलेश (Kamalesh) पुत्र राजू (Raju) दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम कमल कटारा (Kamal Katara) पुत्र राजू (Raju) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को कमल कटारा Kamal Katara) पुत्र राजू (Raju) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(संगीता कटारा)

(Sangeeta Katara)

पता– वार्ड नं. 00, महिगांव पुण्या खेड़ी. सरवन,
जिला रतलाम (म.प्र.).

(G-663)

नाम परिवर्तन

मैं, संकेत गौड़, मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश नाम शिविका गौड़ (SHIVIKA GAUD) गलत अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम स्वर्णिका गौड़ (SWARNIKA GAUD) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संकेत गौड़)

निवासी– बी–1, उमंग रेसिडेंसी, साईनाथ नगर, शिव मंदिर के पास,
हुजूर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-664)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम चंचल परिहार पिता गोपाल सिंह परिहार (CHANCHAL PARIHAR D/o. GOPAL SINGH PARIHAR), निवासी– ग्राम शिवनाथपुरा पोस्ट, जैतपुरा कलां, तहसील खिलचीपुर, शिवनाथपुरा, जैत्पुराकला, राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सीमा परिहार पिता गोपाल परिहार (SIMA PARIHAR D/o. GOPAL PARIHAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम चंचल परिहार पिता गोपाल सिंह परिहार (CHANCHAL PARIHAR D/o. GOPAL SINGH PARIHAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गोपाल सिंह परिहार)

पुत्र– श्री बदन जी.

(G-665)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम सौरभ कुशवाहा पिता नरेश कुशवाहा (SOURABH KUSHWAHA S/o. NARESH KUSHWAHA), निवासी– म. नं. 21, वार्ड नं. 10 मार्ग के पास, गांव सिमरिया, पंचायत झिरमिला, झिरमिला, जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अरमान कुशवाहा (ARMAAN KUSHWAHA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम सौरभ कुशवाहा पिता नरेश कुशवाहा (SOURABH KUSHWAHA S/o. NARESH KUSHWAHA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नरेश कुशवाह)

पिता– मदन लाल.

(G-666)

नाम परिवर्तन

मैं, रविशंकर महाजन पिता स्व. श्री प्रकाशचन्द्र महाजन, निवासी– वार्ड क्रमांक 5, श्रीनाथ कॉलोनी, खरगौन, तहसील एवं जिला खरगौन (म.प्र.). मेरी पुत्री अंशु महाजन एवं पुत्र सूर्यांश महाजन एवं अचिंत्य महाजन के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रविशंकर महाजन की जगह बोलचाल में प्रचलित नाम रवि महाजन एवं रवि प्रकाश महाजन अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे बच्चों के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रविशंकर महाजन लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रवि प्रकाश महाजन/रवि महाजन)

नया नाम

(रविशंकर महाजन)

पुत्र– स्व. श्री प्रकाशचन्द्र महाजन.

(G-667)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार आत्मज श्री बाबूलाल, निवासी– ग्राम जाफराबाद, बैरसिया रोड, जूनापानी, भोपाल (म.प्र.) अपने पुत्र वंश यादव जिसके शैक्षाणिक दस्तावेजों में नाम वंश यादव दर्ज है, जो कि भूलवश अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम जगदीश दर्ज हो गया है, जिसे मैं, परिवर्तित कर वंश यादव पुत्र श्री मनोज कुमार दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को वंश यादव पुत्र श्री मनोज कुमार के नाम से जाना–पहचाना जावे तथा समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में वंश यादव पुत्र श्री मनोज कुमार नाम से दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोज कुमार)

आत्मज श्री बाबूलाल.

(G-668)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार आत्मज श्री बाबूलाल, निवासी– ग्राम जाफराबाद, बैरसिया रोड, जूनापानी, भोपाल (म.प्र.). अपने पुत्र अंश यादव जिसके शैक्षाणिक दस्तावेजों में नाम अंश यादव दर्ज है, जो कि भूलवश अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम रोहित दर्ज हो गया है, जिसे मैं, परिवर्तित करा कर अंश यादव पुत्र श्री मनोज कुमार दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को अंश यादव पुत्र श्री मनोज कुमार के नाम से जाना– पहचाना जावे तथा समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंश यादव पुत्र श्री मनोज कुमार दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोज कुमार)

आत्मज श्री बाबूलाल.

(G-669)

नाम परिवर्तन

मैं, हलके कुशवाह पुत्र श्री परमा, निवासी– ग्राम पडरीया रोखपुर, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश अंकित नाम सीमा पुत्री हलके (SEEMA D/o. HALKE) दर्ज हो गया है. जिसे मैं वर्तमान में पिंकी पुत्री हलके (PINKI D/o. HALKE) कराना चाहता हूँ. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम सीमा पुत्री हलके (SEEMA D/o. HALKE) अंकित है, जो कि त्रुटिवश अंकित हो गया है. मेरी पुत्री का वास्तविक नाम पिंकी पुत्री हलके (PINKI D/o. HALKE) है जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को पिंकी (PINKI) नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हलके कुशवाह)

पुत्र– श्री परमा.

(G-670)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम आरूषी मीना (ARUSHI MEENA) दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री को भविष्य में भूरी बाई (BHOORI BAI) पुत्री कुंजीलाल मैना जो उसकी मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कुंजीलाल मैना)

पुत्र– करनसिंह

पता– ग्राम भिलाय जमनिया, तहसील बासौदा,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-671)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सलोनी कुशवाह (SALONI KUSHWAH) दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री को भविष्य में सविता कुशवाह (SAVITA KUSHWAH) पुत्री भुजबल कुशवाह है जो मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भुजबल कुशवाह)

पुत्र– पूरन सिंह

पता– ग्राम खलोई, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-672)

नाम परिवर्तन

मैं, सुशील मरावी पुत्र नन्हे लाल मरावी (SUSHIL MARAVI S/o. NANHE LAL MARAVI), निवासी– म.नं. 1, वार्ड नंबर 10, भटगांव, मंडला (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सुशील कुमार मरावी पुत्र नन्हे लाल (SUSHIL KUMAR MARAVI S/o. NANHE LAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मतदाता पहचान–पत्र, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सुशील मरावी पुत्र नन्हे लाल मरावी (SUSHIL MARAVI S/o. NANHE LAL MARAVI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(सुशील मरावी)

पुत्र– नन्हे लाल मरावी.

(G-673)

नाम परिवर्तन

मेरे परिचय–पत्र, अंकसूची, समग्र आई.डी., राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र , पंचायत का प्रमाण–पत्र में मेरा नाम रामसिंग कुमरे व. बिरजा कुमरे दर्ज है, जो कि सही नाम है, जबकि आधार कार्ड एवं राजस्व अभिलेख में पिरमु व. बिरजा दर्ज है, जो गलत नाम दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रामसिंग व. बिरजा कुमरे के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(रामसिंग कुमरे)

व. बिरजा कुमरे

निवासी– ग्राम गढ़ा, पोस्ट बैतूल,

तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-674)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र जिसके स्कुल की अंकसूची में नाम संदीप अहिरवार पुत्र श्री प्रेमनारायण अहिरवार दर्ज है, जो कि सही है, परन्तु कुछ दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड में नाम सुरेश अहिरवार पुत्र श्री प्रेमनारायण अहिरवार त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम संदीप अहिरवार पुत्र श्री प्रेमनारायण अहिरवार के नाम से जाना– पहचाना जावे एवं समस्त अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुरेश अहिरवार)

नया नाम

(संदीप अहिरवार)

पिता– प्रेमनारायण अहिरवार.

(G-675)

नाम परिवर्तन

मैं, रामसिंह पुत्र श्री पूरन सिंह बघेल, निवासी– 33, दभरा, जिला भिण्ड (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम अंकिता (ANKITA) है. मेरा नाम रामसिंह (RAMSINGH) है एवं मेरी पत्नी का नाम रेशमा (RESHMA) है. मेरी पुत्री के कुछ दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में पुत्री का नाम गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अंकिता (ANKITA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामसिंह)

पुत्र– श्री पूरन सिंह बघेल

(G-676)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद ताबिश छिपा पुत्र साजिद मोहम्मद, निवासी– 70/1, अहिल्या बाई, पथ घाटी मोहल्ला, महिदपुर (म.प्र.). मेरी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में मेरे पिता का नाम साजिद छिपा और मेरी माता का नाम त्रुटिवश नीलोफर अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पिता का सही नाम साजिद मोहम्मद और माता का नाम नीलोफर बी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मोहम्मद ताबीस)
पिता– साजिद मोहम्मद.

(G-677)

नाम परिवर्तन

मैं, वीरेन्द्र दुबे पुत्र स्व. श्री विश्वनाथ दुबे, निवासी– ई–3/17, क्षिप्रा विहार कॉलोनी, देवास 11 रोड, उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश भैरवी दुबे (BHAIRVI DUBEY) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षिणक दस्तावेजों में काव्या दुबे (KAVYA DUBEY) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम काव्या दुबे (KAVYA DUBEY) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(वीरेन्द्र दुबे)
पुत्र– स्व. श्री विश्वनाथ दुबे.

(G-678)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र अनुराग द्विवेदी पुत्र श्री अरूण कुमार द्विवेदी, निवासी– नयागांव, पोस्ट हनुमना, तहसील हनुमना, जिला मऊगंज, रीवा (म.प्र.). पूर्व में मैं, प्रियांशू द्विवेदी पुत्र श्री अरूण कुमार द्विवेदी के नाम से जाना–पहचाना जाता था तथा वह अपना नाम प्रियांशू द्विवेदी पुत्र श्री अरूण कुमार द्विवेदी लिखता था. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अनुराग द्विवेदी पुत्र श्री अरूण कुमार द्विवेदी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अरूण कुमार द्विवेदी).

(G-679)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम श्रेष्ठ मालवीयॉ पिता इंदरलाल मालवीयॉ है. पूर्व में मेरा नाम मनीष पिता इंदरलाल था, परंतु अब नाम परिर्वतन होकर श्रेष्ठ मालवीयॉ पिता इंदरलाल मालवीयॉ कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम श्रेष्ठ मालवीयॉ के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(श्रेष्ठ मालवीयॉ).

(G-680)

नाम परिवर्तन

मैं, केशव मोरे पुत्र सरदार मोरे, निवासी– म.नं. 58, वार्ड न. 10, सती माता मोहला, ग्राम कुसमरी, पोस्ट पिपरी बुजुर्ग, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मंगलसिंह मोरे (Mangalsingh More) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम केशव मोरे (Keshav More) है जो कि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम केशव मोरे (Keshav More) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मंगलसिंह मोरे)
(Mangalsingh More)

नया नाम
(केशव मोरे)
(Keshav More)
पुत्र– सरदार मोरे.

(G-681)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुनीता सोलसे पत्नी स्व. श्री कैलाश सोलसे, निवासी– म. नं 854, राहुल नगर, नगर निगम, वार्ड क. 05, जोन–01, भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम सुनीता सोलसे (SUNITA SOLSE) हैं, जो कि सही है एवं मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रूकमणि केवट दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम सुनीता सोलसे (SUNITA SOLSE) से जाना व पहचाना जावे एवं शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रूकमणि केवट)

नया नाम
(सुनीता सोलसे)
(SUNITA SOLSE)
पत्नी स्व. श्री कैलाश सोलसे
W/o. Late Shri Kailash Solse.

(G-682)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अब्दुल रज्जाक (ABDUL RAZZAQ) जो कि गलत है, जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम मो इलियास (MO ILIYAS) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे नये सही नाम मो इलियास (MO ILIYAS) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अब्दुल रज्जाक)
(ABDUL RAZZAQ)

नया नाम
(मो इलियास)
(MO ILIYAS)
आत्मज– श्री अ हाफीज
पता– 21, गली नं. 2, भोपाल (म.प्र.).

(G-683)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शारूख, शारूख कुरैशी, पवन पुत्र श्री सरदार अंकित कर दिया गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम शारूख कुरैशी पुत्र स्व. श्री सरदार मियां है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे शारूख कुरैशी पुत्र स्व. श्री सरदार मियां (SHARUKH QURESHI S/o. SARDAR MAYNA) के नाम से जाना–पहचाना जावे व दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शारूख कुरैशी)

नया नाम
(शारूख कुरैशी)
(SHARUKH QURESHI)
पुत्र– स्व. श्री सरदार मियां
S/o. SARDAR MAYNA
निवासी– वार्ड क्र.8, काला बाजार, सिरोंज,
तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-684)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आस्था ठाकुर (ASTHA THAKUR) पत्नी श्री बृजेन्द्र पाल सिंह ठाकुर, निवासी– C–4/604, सौम्या फॉर्चून, हेरिटेज, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.). पूर्व दस्तावेजों में मेरा नाम सिर्फ आस्मा ठाकुर (ASHMA THAKUR) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे आस्था ठाकुर (ASTHA THAKUR) पत्नी बृजेन्द्र पाल सिंह ठाकुर के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आस्मा ठाकुर)	(आस्था ठाकुर)
(ASHMA THAKUR)	**(ASTHA THAKUR)**
	पत्नी– श्री बृजेन्द्र पाल सिंह ठाकुर.

(G-685)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राहुल कुमार गांधी पिता श्री सुनील गांधी, निवासी– म.नं. 1/2, वार्ड नं. 06, महाराणा प्रताप के पास, सोनकच्छ देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम साहिल गांधी पिता श्री सुनील गांधी (SAHIL GANDHI S/o. SUNIL GANDHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम राहुल कुमार गांधी पिता श्री सुनील गांधी (RAHUL KUMAR GANDHI S/o. SUNIL GANDHI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(साहिल गांधी)	(राहुल कुमार गांधी)
(SAHIL GANDHI)	**(RAHUL KUMAR GANDHI)**
	पिता– श्री सुनील गांधी
	S/o. SUNIL GANDHI.

(G-686)

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश पुत्र श्री चंदर सिंह, निवासी– ग्राम भाऊखेड़ी, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रियांशी वर्मा (Priyanshi Verma) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम मनीषा (Manisha) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को भविष्य में मनीषा (Manisha) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुकेश)

पुत्र– श्री चंदर सिंह.

(G-687)

नाम परिवर्तन

मैं, बुद्धसेन प्रसाद नाई Budhsen Prasad Nai पिता स्व. श्री रामदुलारे प्रसाद नाई, निवासी– बंगला नं. 573. जी.सी.एफ. चुंगी चौकी, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र). मेरी सेवा पुस्तिका/समस्त शासकीय अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम अंग्रेजी में Buddhsen Prasad Nai आत्मज स्व.श्री रामदुलारे प्रसाद नाई दर्ज है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अंग्रेजी में Budhsen Prasad Nai आत्मज स्व. श्री रामदुलारे प्रसाद नाई सही है. मेरा अन्य शासकीय अभिलेखों यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी में सही नाम अंग्रेजी में Budhsen Prasad Nai दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही एवं वास्तविक नाम अंग्रेजी में Budhsen Prasad Nai से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(Buddhsen Prasad Nai)	**(Budhsen Prasad Nai).**

(G-688)

नाम परिवर्तन

मैं, नीतू पाटीदार पत्नी श्री ब्रह्मानंद पाटीदार, निवासी– ग्राम पुरानी बस्ती, होशंगाबाद रोड, राम मंदिर के पास, जाटखेड़ी (म.प्र.). मैं, अपना पुराना नाम निर्मला पाटीदार (शासकीय व अशासकीय दातावेजों के अनुसार) पत्नी श्री ब्रह्मानंद पाटीदार के स्थान पर नया नाम नीतू पाटीदार (आधार कार्ड अनुसार) पत्नी श्री ब्रह्मानंद पाटीदार रख दिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(नीतू पाटीदार).

पत्नी श्री ब्रह्मानंद पाटीदार

(G-689)

नाम परिवर्तन

मैं, रामबाबू पुत्र बदनसिंह बघेले, निवासी– ईदगाह रोड, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में रामसखी त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जबकि उसका सही नाम अनमोल बघेले है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अनमोल बघेले के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामबाबू)

पुत्र– बदनसिंह बघेले

निवासी– ईदगाह रोड, वार्ड नं. 21, गंजबासौदा,

जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-690)

नाम परिवर्तन

मैं, लुकमान खान पिता सलमान खान, निवासी–वार्ड क्रमांक 01, काजी मोहल्ला, बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश माजिद खान (MAJID KHAN) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे वोटर कार्ड, में लुकमान खान (LUKMAN KHAN) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम लुकमान खान (LUKMAN KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(माजिद खान)	**(लुकमान खान)**
(MAJID KHAN)	**(LUKMAN KHAN)**

(G-691)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक गौंड आत्मज बद्रीप्रसाद, निवासी– ग्राम मोदकपुर, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, में त्रुटिवश मेरा नाम महेश (MAHESH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम अभिषेक गौंड (ABHISHEK GOUND) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम अभिषेक गौंड (ABHISHEK GOUND) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(महेश)	**(अभिषेक गौंड)**
(MAHESH)	**(ABHISHEK GOUND)**

(G-692)

नाम परिवर्तन

मैं, सलीम खान पुत्र श्री शमशेर खान, निवासी– एल.आई.जी.–24, विवेकानंद नगर, बैरसिया रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम सलीम खान (SALIM KHAN) है. मेरे कक्षा 05वीं, 08वीं एवं 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश शमीम खान (SHAMEEM KHAN) दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम सलीम खान (SALIM KHAN) है, जो कि सही है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक एवं ड्रायविंग लायसेंस पर दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा सही नाम सलीम खान (SALIM KHAN) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शमीम खान)	**(सलीम खान)**
(SHAMEEM KHAN)	**(SALIM KHAN).**

(G-693)

नाम परिवर्तन

मैं, संजीव खरे पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार खरे, निवासी– 201, दिव्या ब्लॉक, चिनार सफायर, रोहित नगर, फेस–2, भोपाल (म.प्र.). पूर्व में मेरा नाम संजीव कुमार खरे था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम संजीव खरे हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे नये नाम संजीव खरे के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजीव खरे)

पुत्र– स्व. श्री कृष्ण कुमार खरे.

(G-694)

नाम परिवर्तन

विवाह के उपरांत मेरा नाम परी चुग पत्नी उत्कर्ष चुग हो गया था. अतः विवाह विच्छेद हो जाने के बाद से अब मैं, पुनः नेहा मूलचन्दानी पुत्री श्री मुकेश मूलचन्दानी हो गई हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे सही नाम नेहा मूलचन्दानी पुत्री श्री मुकेश मूलचन्दानी के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(परी चुग)	**(नेहा मूलचन्दानी)**
पत्नी– उत्कर्ष चुग	पुत्री– श्री मुकेश मूलचन्दानी
	पता–फ्लेट नं. 202, ऑलिव अपार्टमेंट,
	बेरछा मावा भण्डार के पास, बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.).

(G-695)

नाम परिवर्तन

मैं, ओंकार प्रसाद शुक्ला आत्मज श्री हरिहर प्रसाद शुक्ला, निवासी–म.नं.–19, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही एवं पूर्ण नाम ओंकार प्रसाद शुक्ला है, जो कि सही है. मेरा नाम (ओंकार प्रसाद शुक्ला) आधार कार्ड में भी दर्ज है. मैं, अपनी शिक्षण काल के दौरान अपना नाम ओंकार प्रसाद गर्ग लिखता था. जिसके कारण यही नाम मेरी अंकसूचियों में दर्ज है. ओंकार प्रसाद शुक्ला एवं ओंकार प्रसाद गर्ग मेरे स्वयं के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे नये नाम ओंकार प्रसाद शुक्ला के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ओंकार गर्ग)	**(ओंकार प्रसाद शुक्ला)**
	आत्मज श्री हरिहर प्रसाद शुक्ला

(G-696)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम सुरेश वाडिवा, पिता श्री सुधनलाल वाडिवा, निवासी–भूरकालढाना, पोस्ट– बारंगवाड़ी तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सुरज पिता श्री सुघनलाल (Sughanlal) अंकित है व पांचवीं की अंकसूची में भी मेरे पुत्र का नाम सुरेश सही है, लेकिन पिता सुगनलाल (Sugandal) त्रुटिवश दर्ज है. मेरे पुत्र का सही नाम सुरेश वाडिवा (SURESH VADIVA) पिता श्री सुधनलाल वाडिवा (SUDHANLAL VADIVA) है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक व अन्य दस्तावजों में सही नाम सुरेश वाडिवा (SURESH VADIVA) पिता श्री सुधनलाल वाडिवा (SUDHANLAL VADIVA) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(श्री सुधनलाल वाडिवा).

(G-697)

नाम परिवर्तन

मैं, वर्षा पाठक पति श्री रिशी कुमार, निवासी– वार्ड नं. 13, टिकरी टोला, अमरकंटक, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रूचीरानी पाठक दर्ज कर दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा सही नाम वर्षा पाठक है, जो मतदाता परिचय–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम रूचीरानी के स्थान पर सही नाम वर्षा पाठक पति रिशी कुमार पाठक से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(वर्षा पाठक).

(G-698)

नाम परिवर्तन

मैं, रामनिवास कुशवाह आत्मज श्री प्रेम नारायण कुशवाह, निवासी–ग्राम नलखेड़ा, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम राघव कुशवाह (RAGHAV KUSHWAH) है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम प्रभांश (PRABHANSH) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को नये नाम राघव कुशवाह (RAGHAV KUSHWAH) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामनिवास कुशवाह)

(G-699)

नाम परिवर्तन

मैं, इम्तियाज मकरानी पुत्र श्री बाबू खां, निवासी–10, मस्जिद मोहल्ला, चन्द्रशेखर आजाद नगर, भाभरा, अलीराजपुर (म.प्र.). मेरा नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड में नाम इम्तियाज मकरानी (IMTIYAJ MAKRANI) अंकित है, जबकि मेरे स्वयं की 10वीं, 12वीं व स्नातक की अंकसूची में इम्तियाज खां मोमिन (IMTIYAJ KHAN MOMIN)/ इम्तियाज खान (IMTIYAJ KHAN) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम इम्तियाज मकरानी (IMTIYAJ MAKRANI) लिखा – पढ़ा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(इम्तियाज मकरानी)

(G-700)

नाम परिवर्तन

मैं, हरजीत कौर संधू पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह संधू, निवासी 90–A, संत नगर, इंदौर, हाल निवास, अमृतसर कॉलोनी, रतलाम (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम अलग–अलग दर्ज हो गया जैसे आधार कार्ड में हरजीत कौर सलूजा पुत्री लक्ष्मन सिंह, वोटर कार्ड पर हरजीत कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह, पैन कार्ड में HARJEET KAUR SALUJA D/O LAXMAN SINGH SHANDU एवं शैक्षिणक दस्तावेजों में HARJEET KAUR D/o. LAKSHMAN SINGH SANDHU नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम हरजीत कौर संधू (HARJEET KAUR SANDHU) पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह संधू (LAXMAN SINGH SANDHU) है, जो कि मेरे बैंक पासबुक में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम हरजीत कौर संधू (HARJEET KAUR SANDHU) पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह संधू (LAXMAN SINGH SANDHU) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हरजीत कौर सलूजा) **(HARJEET KAUR SALUJA)** पुत्री– लक्ष्मन सिंह D/o. LAXMAN SINGH SHANDU **(हरजीत कौर)** **(HARJEET KAUR)** पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह D/o. LAKSHMAN SINGH SANDHU	**(हरजीत कौर संधू)** **(HARJEET KAUR SANDHU)** पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह संधू (LAXMAN SINGH SANDHU).

(G-701)

नाम परिवर्तन

मैं, शन्नो पत्नी स्व. मो. रमजान मंसूरी, निवासी– 650, दशमेश नगर, दशहरा मैदान, अशोका गार्डन, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं शैक्षिणक दस्तावेजों में उसका नाम अदीना मंसूरी (ADEENA MANSURI) नाम दर्ज है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अक्सा मंसूरी (AQSA MANSURI) नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नये नाम अक़सा मंसूरी (AQSA MANSURI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शन्नो)

पत्नी– स्व. मो. रमज़ान मंसूरी.

(G-702)

नाम परिवर्तन

मैं, इरशाद खान पुत्र श्री सलीम खांन, निवासी– 29/12, महाकाल रोड, मालवा स्टील फेक्टरी की गली, उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश ज़ेनब फातमा खान (ZENAB FATMA KHAN) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके शैक्षिणक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में ज़ैना फातमा खान (ZAINA FATMA KHAN) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम ज़ैना फातमा खान (ZAINA FATMA KHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(इरशाद शान)

पुत्र– श्री सलीम खांन.

(G-703)

नाम परिवर्तन

मैं, राधिका प्रसाद कुशवाहा (Radhika Prasad Kushwaha) पुत्र बद्रीप्रसाद कुशवाहा (Badriprasad Kushwaha), निवासी– 306/89, ई–6, सांईबाबा नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम राधिका कुशवाह (Radhika Kushwaha) अंकित है, किन्तु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम राधिका प्रसाद कुशवाहा (Radhika Prasad Kushwaha) है, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राधिका कुशवाह)	(राधिका प्रसाद कुशवाहा)
(Radhika Kushwaha)	**(Radhika Prasad Kushwaha).**

(G-704)

नाम परिवर्तन

मैं, वीर सिंह (Veer Singh) पुत्र इंदर सिंह, मेरी पुत्री सावरी (Savri) है, जिसके आधार कार्ड/दस्तावेजों में उसका नाम तनुष्का राजपूत (Tanushka Rajput) पुत्री वीर सिंह राजपूत (Veer Singh Rajput) दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम सावरी (Savri) पुत्री वीर सिंह (Veer Singh) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सावरी (Savri) पुत्री वीर सिंह (Veer Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक
(वीर सिंह)
(Veer Singh)
पता– हमीद खेड़ी, तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-705)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम रिधा गाईन (Ridha Gain) पुत्री श्री रणवीर कुमार गाईन, निवासी– एमक्यू, 2765, वार्ड न. 36, रेस्कयू काम्प्लेक्स बगडोना, बेतूल (म.प्र.). आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम बानी गाईन (Baani Gain) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में मेरी पुत्री का सही नाम रिधा गाईन (Ridha Gain) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को मेरे सही नाम रिधा गाईन (Ridha Gain) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा– पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(श्री रणवीर कुमार गाईन).

(G-706)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम बैजंती पिता धीरज कुशवाह (BAIJANTI S/o. DHEERAJ KUSHWAHA), निवासी– घर 165, ग्राम व पोस्ट कलारा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश वंदना पिता श्री धीरज (VANDNA S/o. DHEERAJ) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम बैजंती पिता धीरज कुशवाह (BAIJANTI S/o. DHEERAJ KUSHWAHA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(धीरज कुशवाह).

(G-707)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अफ़सरून्निसा कुरैशी पत्नी अनीस अहमद (Afsarunnisa Qureshi W/o. Anis Ahamad), निवासी– वार्ड 13, आवास कोलनी, जीरापुर, राजगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अफसरूल निशा पत्नी अनीस अहमद (Afsarulnisha W/o. Anis Ahamad) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरी 10वी की अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम अफ़सरून्निसा कुरैशी पत्नी अनीस अहमद (Afsarunnisa Qureshi W/o. Anis Ahamad) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अफसरूल निशा)
(Afsarulnisha)

नया नाम

(अफ़सरून्निसा कुरैशी)
(Afsarunnisa Qureshi)
पत्नी– अनीस अहमद
W/o. Anis Ahamad.

(G-708)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रदीप कुमार भार्गव पुत्र राजेन्द्र कुमार भार्गव, निवासी– तहसील इटारसी, आजाद नगर, न्यू वार्ड, म.नं.–1, वार्ड नं.–41, मेहरागांव, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम शमीला भार्गव पुत्री प्रदीप कुमार भार्गव (SHAMILA BHARGAV C/o. PRADEEP KUMAR BHARGAVA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्री का सही नाम समृद्धि भार्गव पुत्री प्रदीप कुमार भार्गव (SAMRIDDHI BHARGAVA D/o. PRADEEP KUMAR BHARGAVA), जो कि शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम समृद्धि भार्गव पुत्री प्रदीप कुमार भार्गव (SAMRIDDHI BHARGAVA D/o. PRADEEP KUMAR BHARGAVA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रदीप कुमार भार्गव)
पुत्र– राजेन्द्र कुमार भार्गव.

(G-709)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मलका बाथम पत्नी श्री जगन्नाथ बाथम (Malka Batham W/o. Shri Jagannath Batham), निवासी– हाउस नं. 538, कोलार रोड, बी सेक्टर, सर्वधर्म कॉलोनी, हुजूर, भोपाल, (म.प्र.). परंतु मेरे प्लाट के दस्तावेज में त्रुटिवश मेरा नाम मलका बाथम पत्नी श्री कल्लूराम बाथम (Malka Batham W/o. Shri Kalluram Batham) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे व मेरे पति के आधार कार्ड के दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम मलका बाथम पत्नी श्री जगन्नाथ बाथम (Malka Batham W/o. Shri Jagannath Batham) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मलका बाथम)
(Malka Batham)
पत्नी– श्री कल्लूराम बाथम
W/o. Shri Kalluram Batham

नया नाम

(मलका बाथम)
(Malka Batham)
पत्नी– श्री ज़गन्नाथ बाथम
W/o. Shri Jagannath Batham.

(G-710)

नाम परिवर्तन

मैं, ब्रज ठाकुर पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी– 179/2, गडरवास, बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.) परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मोहन सिंह ठाकुर (MOHAN SINGH THAKUR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, साथ ही जन्मतिथि भी गलत अंकित हो गयी है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षिणक दस्तावेजों पर ब्रज ठाकुर (BRAJ THAKUR) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम ब्रज ठाकुर (BRAJ THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मोहन सिंह ठाकुर)
(MOHAN SINGH THAKUR)

नया नाम

(ब्रज ठाकुर)
(BRAJ THAKUR).

(G-711)

नाम परिवर्तन

मैं, स्नेहा दुबे पत्नी श्री अखिल बिरथरे, निवासी– हाउस नंबर बी–92, तिली रोड, मधुवन ग्रीन्स कॉलोनी, सागर पोस्ट सागर, जिला सागर (म.प्र.). किन्तु मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में पार्थ बिरथरे पिता श्री अखिल बिरथरे माता श्रीमती स्नेहा दर्ज है, जिसमें माता के नाम पर श्रीमती स्नेहा के साथ उपनाम दुबे दर्ज नही है. जबकि जन्म प्रमाण–पत्र में मेरे पुत्र का नाम पार्थ बिरथरे पिता श्री अखिल बिरथरे माता श्रीमती स्नेहा दुबे दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय /व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम पार्थ बिरथरे पिता श्री अखिल बिरथरे माता श्रीमती स्नेहा दुबे के नाम से जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(स्नेहा दुबे)
पत्नी– श्री अखिल बिरथरे.

(G-712)

नाम परिवर्तन

मैं, शिव कुमारी दांगी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह दांगी, निवासी– ग्राम रुसल्ला तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र ओमेश्वर सिंह दांगी, की मार्कशीट में मेरा नाम त्रुटिवश शिवा दांगी (SHIVA DANGI) अंकित हो गया है. जिसे मैं, वर्तमान में शिव कुमारी दांगी (SHIV KUMARI DANGI) कराना चाहती हूं. मेरे पुत्र ओमेश्वर सिंह दांगी की मार्कशीट में मेरा नाम शिवा दांगी (SHIVA DANGI) अंकित है, जो कि त्रुटिवश अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में भी शिव कुमारी दांगी (SHIV KUMARI DANGI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(शिव कुमारी दांगी)
पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह दांगी.

(G-713)

नाम परिवर्तन

मैं, तनुश्री दांगी, पुत्री श्री रणवीर दांगी, निवासी– ग्राम जमालदी लश्करपुर, तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश तनीशा दांगी पुत्री रणवीर सिंह (TAN-ISHA DANGI D/o. RANVEER SINGH) दर्ज हो गया है. जिसे मैं, वर्तमान में तनुश्री दांगी पुत्री श्री रणवीर दांगी (TANUSHRI DANGI D/o. RANVEER DANGI) कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम तनुश्री दांगी पुत्री श्री रणवीर दांगी (TANUSHRI DANGI D/o. RANVEER DANGI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(तनुश्री दांगी)
पुत्री– श्री रणवीर दांगी.

(G-714)

नाम परिवर्तन

मैं, तुलसा बाई पत्नी श्री राजू यादव, पता– 175, शिवनगर झुग्गियाँ आनंद नगर भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश ज्योति यादव पत्नी श्री राजू यादव (JYOTI YADAV W/o. RAJU YADAV) हो गया है. जिसे मैं वर्तमान मैं तुलसा बाई पत्नी श्री राजू यादव (TULSA BAI W/o. RAJU YADAV) कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में भी तुलसा बाई पत्नी श्री राजू यादव (TULSA BAI W/o. RAJU YADAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(तुलसा बाई)
पत्नी– श्री राजू यादव.

(G-715)

नाम परिवर्तन

मैं, नारायण सिंह कुशवाह पुत्र श्री बनेसिंह, निवासी– ग्राम नगतरा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम लक्ष्मी बाई पुत्री नारायण (LAXMI BAI D/o. NARAYAN) अंकित हो गया है, जिसे मैं वर्तमान में नंदनी कुशवाह पुत्री नारायण सिंह (NANDNI KUSHWAH D/o. NARAYAN SINGH) कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसकी मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेज में भी नंदनी कुशवाह पुत्री नारायण सिंह (NANDNI KUSHWAH D/o. NARAYAN SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नारायण सिंह कुशवाह)
पुत्र– श्री बनेसिंह.

(G-716)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अनंत यादव पिता श्री अनिल यादव (ANANT YADAV S/o. ANIL YADAV), निवासी– म. नं. 41, ग्राम रतनपुर, पोस्ट मरदानपुर, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, रतनपुर, रेहटी, सीहोर (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आनंद यादव पिता श्री अनिल यादव (ANAND YADAV S/o. ANIL YADAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अनंत यादव पिता श्री अनिल यादव (ANANT YADAV S/o. ANIL YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अनिल यादव)
पिता– श्री मिश्रीलाल यादव.

(G-717)

नाम परिवर्तन

मैं, वैदेही आरतवानी पत्नी श्री गौरव आरतवानी, निवासी– डी–97, डी–सेक्टर, साईनाथ कॉलोनी, दामखेड़ा, कोलार रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे नाम के पेन कार्ड, अंकसूची पर नाम भारती मूरजानी (BHARTI MOORJANI) अंकित है, जबकि मेरे स्वयं के अन्य दस्तावेजों (आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी. कार्ड में) नाम वैदेही आरतवानी (VAIDEHI ARTWANI) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे पैन कार्ड एवं अंकसूची एवं समस्त दस्तावेजो पर वैदेही आरतवानी (VAIDEHI ARTWANI) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(वैदेही आरतवानी)
(VAIDEHI ARTWANI).

(G-718)

नाम परिवर्तन

मैं, सहिद कुरैशी पुत्र अनबर कुरैशी, निवासी– म.नं. 2148, राजीव नगर, सेन्ट्रल स्कूल के पास, स्कूल नं. 01, मैदा मिल, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र शहीद कुरेशी के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में पिता का त्रुटिवश नाम सईद कुरैशी (SAID QURESHI) एवं माता का नाम आयशा बी (AYESH BEE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. पिता का सही नाम सहीद कुरैशी (SAHEED KURESHI) एवं माता का सही नाम आशा बी (AASHA BI) है, जो कि मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति माता एवं पिता के ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त पुत्र का नाम शाहिद कुरैशी (SAHID KURESHI) पिता का नाम सहीद कुरैशी (SAHEED KURESHI) एवं माता का नाम आशा बी (AASHA BI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सहीद कुरैशी)
पुत्र– अनबर कुरैशी.

(G-719)

नाम परिवर्तन

मैं, माधव सिंह सेन पिता गोटी राम सेन, निवासी– म.नं. 09 कंजेला, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). आधार कार्ड में त्रुटिवश माधो सिंह पिता गोटीराम दर्ज हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम माधव सिंह सेन (MADHAV SINGH SEN) पिता गोटी राम सेन (GOTI RAM SEN) है. जो मेरे जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे माधव सिंह सेन (MADHAV SINGH SEN) पिता गोटी राम सेन (GOTI RAM SEN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(माधो सिंह)
पिता– गोटीराम

नया नाम

(माधव सिंह सेन)
(MADHAV SINGH SEN)
पिता– गोटीराम सेन
(GOTI RAM SEN).

(G-720)

नाम परिवर्तन

मैं, भगवान स्वरूप सक्सेना पिता रामनारायण सक्सेना, निवासी– ग्राम नीमखेड़ा, छिरखेड़ा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश अभिनाश सक्सेना (Abhinash Saxena) पिता भगवानस्वरूप सक्सेना (Bhagwanswrup Saksena) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम अभिनव सक्सेना (ABHINAV SAXENA) पिता भगवान स्वरूप सक्सेना (BHAGWAN SWAROOP SAXENA) हैं, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को अभिनव सक्सेना (ABHINAV SAXENA) पिता भगवान स्वरूप सक्सेना (BHAGWAN SWAROOP SAXENA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भगवान स्वरूप सक्सेना)
पिता– रामनारायण सक्सेना.

(G-721)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश मिनामा पिता चेना मिनामा, निवासी– डामोर फलिया डूंगरा, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में किशोर पिता रमेशचंद्र दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम सवन मिनामा (SAVAN MINAMA) पिता रमेश मिनामा (RAMESH MINAMA) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व कक्षा 10वीं की अंकसूची, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम सवन मिनामा (SAVAN MINAMA) पिता रमेश मिनामा (RAMESH MINAMA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रमेश मिनामा)

पिता– चेना मिनामा.

(G-722)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हार्दिक शर्मा पिता मदन मोहन शर्मा (HARDIK SHARMA S/o. MADAN MOHAN SHARMA), निवासी– 46, खिरिया, भामवाद, कुम्भराज, गुना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राज शर्मा पिता मदन मोहन शर्मा (RAJ SHARMA S/o. MADAN MOHAN SHARMA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षाणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम हार्दिक शर्मा पिता मदन मोहन शर्मा (HARDIK SHARMA S/o. MADAN MOHAN SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(हार्दिक शर्मा)

पिता– मदन मोहन शर्मा.

(G-723)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम आयूषी कनाश पिता दिनेश कनाश (AAYUSHI KANASH D/o. DINESH KANASH), निवासी– ग्राम अवल्दामान, धार (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रंजना कनाश पिता दिनेश (RANJANA KANASH D/o. DINESH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सही नाम आयूषी कनाश पिता दिनेश कनाश (AAYUSHI KANASH D/o. DINESH KANASH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दिनेश कनाश)

पिता– मडीया.

(G-724)

नाम परिवर्तन

मैं, महेश आ. श्री राधेश्याम, निवासी– ग्राम मुगांवली, तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम प्रिंस मालवीय (PRINCE MALVIYA) है, जो कि सही है एवं मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश प्रिंश (PRINSH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रिंस मालवीय (PRINCE MALVIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(महेश)

आ. श्री राधेश्याम.

(G-725)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम अनुराधा मेवांड़ा पुत्री मनोज मेवाड़ा (ANURADHA MEWADA D/o. MANOJ MEWADA), निवासी– वार्ड नं. 13, रानीबडोद, तहसील शुजालपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राधिका मेवाड़ा पुत्री मनोज मेवाड़ा (RADHIKA MEWADA D/o. MANOJ MEWADA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम अनुराधा मेवाड़ा पुत्री मनोज मेवाड़ा (ANURADHA MEWADA D/o. MANOJ MEWADA) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(मनोज मेवाड़ा).

(G-726)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम विकास काकोडिया पुत्र लाल सिंग काकोडिया (VIKAS KAKODIYA S/o. LALSING KAKODIYA), निवासी– बर्रा धाना VTC, मोहदा PO मोहदा सब डिस्ट्रिक्ट, भैंसदेही, डिस्ट्रिक्ट, बेतूल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रजनिश काकोडिया पुत्र लाल सिंग काकोडिया (RAJNISH KAKODIYA S/o. LALSING KAKODIYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम विकास काकोडिया पुत्र लाल सिंग काकोडिया (VIKAS KAKODIYA S/o. LALSING KAKODIYA) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(लाल सिंग काकोडिया)
(G-727) **(LALSING KAKODIYA).**

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम यश मीना पुत्र भारत सिंह मीना (YASH MEENA S/o. BHARAT SINGH MEENA), निवासी– खरटिया खुर्द, पोस्ट आमल्याहाट, जिला राजगढ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अंशा पुत्र भारत सिंह मीना (ANSHA S/o. BHARAT SINGH MEENA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम यश मीना पुत्र भरत सिंह मीना (YASH MEENA S/o. BHARAT SINGH MEENA) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(भारत सिंह मीना).

(G-728)

नाम परिवर्तन

मैं, बद्रीलाल मोरे आत्मज जगन मोरे, निवासी– ओल्ड ऑफिसर कॉलोनी, खरगोन (म.प्र.). मेरे द्वारा तनवी सोलंकी TANVI SOLANKI आत्मज राजाराम सोलंकी RAJARAM SOLANKI को गोद लिया गया है, जिसे गोदनामा द्वारा राजिस्ट्रर भी करवाया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में तनवी सोलंकी TANVI SOLANKI को उसके नाम तनवी मोरे TANVI MORE आत्मज बद्रीलाल मोरे BADRILAL MORE के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बद्रीलाल मोरे)
(G-729) आत्मज– जगन मोरे.

नाम परिवर्तन

मैं, अंजना साहू पिता ज्ञानी प्रसाद साहू, निवासी– ग्राम बहोरीपार, तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम अंजना साहू ANJANA SAHU है, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अर्चना साहू ARCHNA SAHU अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अंजना साहू ANJANA SAHU और अर्चना साहू ARCHNA SAHU दोनो एक ही महिला के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम अंजना साहू (ANJANA SAHU) के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अर्चना साहू)
(ARCHNA SAHU)

नया नाम
(अंजना साहू)
(ANJANA SAHU).

(G-730)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अब्दुल शकूर आत्मज श्री जुम्मन खां, निवासी– बिलातिया, छावनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे भू–ऋण पुस्तिका एवं राजस्व विभाग दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम हाजी अब्दुल शकूर आत्मज श्री जुम्मन खां हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में अब्दुल शकूर नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(हाजी अब्दुल शकूर)
(Haji Abdul Shakur)

नया नाम
(अब्दुल शकूर)
(Abdul Shakur)
आत्मज– श्री जुम्मन खां
S/O Jumman Kha.

(G-731)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक कुर्मी पिता श्री भारत कुर्मी, निवासी– रेगवा, तहसील गढाकोटा, जिला सागर (म.प्र.) है. परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम महेन्द्र कुर्मी पिता श्री भारत कुर्मी (MAHENDRA KURMI S/o. BHARAT KURMI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम दीपक कुर्मी पिता श्री भारत कुर्मी (DEEPAK KURMI S/o. BHARAT KURMI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(महेन्द्र कुर्मी)
(MAHENDRA KURMI)

नया नाम
(दीपक कुर्मी)
(DEEPAK KURMI)
पिता– श्री भारत कुर्मी
S/o. BHARAT KURMI-

(G-732)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्जुन सिंह पिता श्री पन्नालाल, निवासी– ग्राम कुचोली, पोस्ट घटेरा, विदिशा (म.प्र.) है. परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मर्दन सिंह पिता श्री मुन्नालाल (MARDAN SINGH S/o. MUNNALAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे नये नाम अर्जुन सिंह पिता श्री पन्नालाल (ARJUN SINGH S/o. PANNA LAL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मर्दन सिंह)
(MARDAN SINGH)
पिता– श्री मुन्नालाल
S/o. MUNNALAL

नया नाम
(अर्जुन सिंह)
(ARJUN SINGH)
पिता– श्री पन्नालाल
S/o. PANNA LAL.

(G-733)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम फलवी जायसवाल (Falvi Jaiswal) पुत्री श्री मनमोहन जायसवाल, निवासी– 473/16, मेघदूत नगर, इंदौर (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश फलवी जायसवाल (Phalavi Jaiswal) दर्ज हो गया है जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में मेरी पुत्री का सही नाम फलवी जायसवाल (Falvi Jaiswal) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम फलवी जायसवाल (Falvi Jaiswal) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(मनमोहन जायसवाल).

(G-734)

नाम परिवर्तन

मैं, भारती अहिरवार पत्नी स्व. श्री सेवक अहिरवार, निवासी– ग्राम रोंडा, तहसील पटेरा, जिला दमोह (म.प्र.). मेरा सही नाम भारती अहिरवार (BHARTI AHIRWAR) है, जो कि सही है, परन्तु मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश केशर अहिरवार (KESHAR AHIRWAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम भारती अहिरवार (BHARTI AHIRWAR) के नाम से जाना व पहचाना एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(केशर अहिरवार)
(KESHAR AHIRWAR)

नया नाम
(भारती अहिरवार)
(BHARTI AHIRWAR).

(G-735)

उपनाम परिवर्तन

मैं, रामकिशन आत्मज श्री दशरथ सींग, निवासी –पटना मानगढ़, जिला दमोह (म.प्र.). मेरा सही नाम रामकिशन (RAMKISHAN) है जो कि सही है, परन्तु मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश रामरतन (RAMRATAN) अंकित हो गया है. जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मुझे सही नाम रामकिशन (RAMKISHAN) से जाना–पहचाना जावे व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामरतन)
(RAMRATAN)

नया नाम
(रामकिशन)
(RAMKISHAN).

(G-736)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजो मे मेरे पुत्र का नाम माधव पांचाल (Madhav Panchal) पिता हरिओम पांचाल (Hariom Panchal) दर्ज है, परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम गलती से प्रतीक पांचाल (Pratik Panchal) पिता हरिओम पांचाल (Hariom Panchal) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम माधव पांचाल (Madhav Panchal) पिता हरिओम पांचाल (Hariom Panchal) के नाम से ही जाना–पहचाना, पढ़ा–लिखा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(माधव पांचाल)
(Madhav Panchal)
पिता– हरिओम पांचाल
पता– चम्बल नाका, वार्ड नंबर–2,
गौतमपुरा, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-737)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम वैष्णवी सोनी (Vaishnavi Soni) पिता विनोद सोनी (Vinod Soni) दर्ज है, परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम गलती से वीरा सोनी (Veera Soni) पिता विनोद सोनी (Vinod Soni) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी पुत्री का सही नाम वैष्णवी सोनी (Vaishnavi Soni) पिता विनोद सोनी (Vinod Soni) के नाम से ही जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विनोद सोनी)

पता– एरोड्रम रोड, 74, आराधना नगर,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-738)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अरण्य चौधुरी पुत्र सोमनाथ चौधुरी (ARANYA CHOWDHURY S/o. SOMNATH CHOWDHURY), निवासी– एल 4 लिली रो, स्प्रिंग वैली, कटारा हिल्स, हुजूर, बाग मुंगलिया, भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेर पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम औरन्नो चौधुरी पुत्र सोमनाथ चौधुरी (AURONYO CHOWDHURY S/o. SOMNATH CHOWDHURY) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अरण्य चौधुरी पुत्र सोमनाथ चौधुरी (ARANYA CHOWDHURY S/o. SOMNATH CHOWDHURY) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सोमनाथ चौधरी).

(G-739)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम अनमोल वास्कला पिता श्री अमित वास्कला, निवासी– ग्राम कस्बा जोबट, इन्दिरा कॉलोनी, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनमोल पिता श्री अमित वास्कला (ANMOL S/o. AMIT VAASKALA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम जाति प्रमाण–पत्र, जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम अनमोल वास्कला पिता श्री अमित वास्कला (ANMOL VASKALA S/o. AMIT VAASKALA) के नाम से जाना–पहचाना–लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनमोल)	**(अनमोल वास्कला)**
(ANMOL)	**(ANMOL VASKALA)**
	पिता– श्री अमित वास्कला
	S/o. AMIT VAASKALA.

(G-740)

नाम परिवर्तन

मैं, विक्रम वाधवानी पिता किशन दास, निवासी– 1 के. आनंद विहार, स्कीम नं 103, केसरबाग रोड, इन्दौर (म.प्र). मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम विक्रम वाधवानी (VIKRAM WADHWANI) पिता किशन दास दर्ज है, जो कि मेरा सही नाम है, मेरे पुराने पासपोर्ट में मेरा नाम विकी कुमार (VIKI KUMAR) पिता किशन दास दर्ज है जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे नाम को बदलकर विकी कुमार (VIKI KUMAR) पिता किशन दास के स्थान पर विक्रम वाधवानी (VIKRAM WADHWANI) पिता किशन दास किया जावे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विकी कुमार)	**(विक्रम वाधवानी)**
(VIKI KUMAR)	**(VIKRAM WADHWANI)**
	पिता– किशन दास.

(G-741)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद राजिक पिता मोहम्मद रियाज, निवासी– 59, आलापुरा जूनी इन्दौर (म.प्र.). परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मोहम्मद बिलाल शेख (MOHAMMAD BILAL SHEIKH) पिता मोहम्मद राजिक दर्ज है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में मोहम्मद हम्जा शेख (MOHAMMAD HAMJA SHEIKH) पिता मोहम्मद राजिक दर्ज है, जो कि उसका सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में उसको उसके सही नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मोहम्मद राजिक)

पिता– मोहम्मद रियाज,

(G-742)

नाम परिवर्तन

मैं, शैलेन्द्र कुमार जैन पिता अक्षय कुमार जैन, निवासी– 51/2 रावजी बाजार, जूनी, इन्दौर (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में शैलेन्द्र कुमार जैन (SHAILENDRA KUMAR JAIN) पिता अक्षय कुमार जैन दर्ज है, जो कि मेरा सही नाम है. मेरे डीमैट खाते (TRADING ACCOUNT) में मेरा नाम शैलेन्द्र जैन (SHAILENDRA JAIN) पिता अक्षय कुमार जैन है. दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम शैलेन्द्र कुमार जैन (SHAILENDRA KUMAR JAIN) पिता अक्षय कुमार जैन के नाम से जाना– पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शैलेन्द्र जैन)

(SHAILENDRA JAIN)

नया नाम

(शैलेन्द्र कुमार जैन)

(SHAILENDRA KUMAR JAIN)

पिता– अक्षय कुमार जैन.

(G-743)

उपनाम परिवर्तन

मैं, निमिषा त्यागी पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पत्नी श्री नरेश त्यागी, निवासी– चंद्रशेखर आजाद, वार्ड क्रमांक 02, बायपास रोड, गौर कॉलोनी, हरदा तहसील व जिला हरदा (म.प्र.). किन्तु मेरे दस्तावेजों जिनमें बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस एवं राशन कार्ड पर उपनाम "त्यागी" दर्ज है, जो कि सही है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश उपनाम "शर्मा" दर्ज है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे निमिषा त्यागी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(निमिषा शर्मा)

(NIMISHA SHARMA)

नया नाम

(निमिषा त्यागी)

(NIMISHA TYAGI).

(G-744)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय कुमार महर्षि पुत्र श्री बृज मुकुन्द्र महर्षि (Vijay Kumar Mehrishi S/o. Shri Brij Mukund Mehrishi), निवासी–5D, सुरभी लाईफ स्पेसिस, अमृतपुरी, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.). मेरे सेवा रिकार्ड में मेरा नाम कहीं व्ही. के. महर्षि एवं कहीं पर विजय कुमार महर्षी अंकित है, जबकि मेरा सही नाम विजय कुमार महर्षि पुत्र श्री बृज मुकुन्द्र महर्षि (Vijay Kumar Mehrishi S/o. Shri Brij Mukund Mehrishi) है एवं इसी नाम से मेरा आधार कार्ड, उम्मीद कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट इत्यादि जारी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम जहाँ कहीं भी व्ही. के. महर्षि (V. K. Mehrishi) दर्ज हो, उसके स्थान पर विजय कुमार महर्षि पुत्र श्री बृज मुकुन्द्र महर्षि (Vijay Kumar Mehrishi S/o. Shri Brij Mukund Mehrishi) लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-745) **(विजय कुमार महर्षि).**

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम सौम्या बेगड़े (SOUMYA BEGDE) पिता निलेश बेगड़े है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सोमिया बेगड़े (SOMIYA BEGDE) पिता निलेश बेगडे दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम सौम्या बेगड़े (SOUMYA BEGDE) पिता निलेश बेगडे लिखा–पढा जावे एवं इसी नाम से जाना पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(निलेश बेगडे)

पता– 14, गाडी अड्डा, हरीजन कॉलोनी,

(G-746) इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम रामरती साहू पिता रामयिया साहू (RAMRATI SAHU D/o. RAMSIYA SAHU), निवासी– कर्थुआ, चितरंगी, सिंगरौली (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सुभद्रा साहू पिता रामसिया साहू (SHUBHADRA SAHU D/o. RAMSIYA SAHU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों व जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम रामरती साहू पिता रामसिया साहू (RAMRATI SAHU D/o. RAMSIYA SAHU) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामसिया साहू)

पिता– मोतीलाल साहू.

(G-747)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जरीना बी पत्नी अलीम खान (JARINA BEE W/o. ALEEM KHAN), निवासी– मकान नं. 56, वार्ड नं. 11, तहसील बाबई, साहू मोहोला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सानिया बी पत्नी अलीम खान (SANIYA BEE W/o. ALEEM KHAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मतदाना पहचान–पत्र व मार्कशीट में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम जरीना बी पत्नी अलीम खान (JARINA BEE W/o. ALEEM KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सानिया बी)

(SANIYA BEE)

नया नाम

(जरीना बी)

(JARINA BEE)

पत्नी– अलीम खान

(G-748) W/o. ALEEM KHAN.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

नियम चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष :–

प्र.क्र. 03–बी–113–(1)–25–26.–चूंकि, श्री हीराचंद सोमानी स्मृति न्यास द्वारा अध्यक्ष श्री कृष्णवल्लभ पिता लक्ष्मीनारायण सोमानी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जनवरी 2026 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः, शिवलाल शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 22 जनवरी 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं, अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा :–

संपत्ति का विवरण

(अ) अचल संपत्ति	–	ग्राम मुल्तानपुरा, तहसील मंदसौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 114 रकबा 0.4800 है. सर्वे क्रमांक 124 रकबा 1.0600 है. सर्वे क्रमांक 170 रकबा 0.1000 सर्वे क्रमांक 172 रकबा 4.0000 है. सर्वे क्रमांक 177 रकबा 0.1500 हे. सर्वे क्रमांक 178 रकबा 0.0700 है.
(ब) चल संपत्ति	–	चांदी के आभूषण – कुल वजन 7.354 किग्रा. अनुमानित मूल्य 3,66,000/– सोने के आभूषण – कुल वजन 58.8 ग्राम अनुमानित मूल्य 3,95,430/– नकद जमा राशि – कुल 16,70,100/–

(G-749)

शिवलाल शाक्य, पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश

पृथ्वीपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

प्रारुप–चार

प्र. क्र.0001–बी–113–2025–26.–मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 क 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 नियम 5 (1) के अन्तर्गत लोक न्यासों के पंजीयक पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश.

चूंकि, आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री श्री 1008 चन्द्रप्रभू दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, चौक बाजार, पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाडी, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट, 1951 के अधीन पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक 30 जनवरी 2026 के अंदर इस न्यायालय में न्यायालीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसर के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :–

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता :– श्री श्री 1008 चन्द्रप्रभू दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, चौक बाजार के पास, पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाडी, मध्यप्रदेश.

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति :– मंदिर भवन कमरे सहित	अनुमानित कीमत 04.25 करोड़
मंदिर परिसर में वोर विद्युत मोटर सहित	45000.00
पाषाण की प्रतिमायें 55 नग	
अष्टधातू की प्रतिमायें 84 नग	

चल सम्पत्ति – सामग्री का विवरण	अनुमानित राशि
1. चन्द्रप्रभू भगवान की वेदी पर भगवान की प्रतिमायें एवं सामग्री	
छत्र 7 नग	45000/– हजार
सिंघासन 9 नग	30000/– हजार
2. आदिनाथ भगवान की वेदी पर भगवान की प्रतिमायें एवं सामग्री	
छत्र 10 नग	65000/– हजार
सिंघासन 8 नग	24000/– हजार

3.	वांशपूज्य भगवान की वेदी पर भगवान की प्रतिमायें एवं सामग्री	
	छत्र 2 नग	13000/– हजार
	सिंघासन 12 नग	36000/– हजार
	चाँदी झूला 1 नग	80000/– हजार
4.	पार्श्वनाथ भगवान की वेदी पर भगवान की प्रतिमायें एवं सामग्री	
	छत्र 05 नग	33000/– हजार
	सिंघासन 9 नग	27000/– हजार
5.	खडगासन भगवान की वेदी पर भगवान की प्रतिमायें एवं सामग्री	
	छत्र 05 नग	33000/– हजार
	सिंघासन 5 नग	15000/– हजार
6.	हाल की वेदी पर भगवान की प्रतिमायें एवं सामग्री	
	छत्र 08 नग	50000/– हजार
	सिंघासन 3 नग	12000/– हजार
7.	चौबीसी के मूलनायक भगवान की वेदी पर प्रतिमायें एवं सामग्री	
	छत्र 28 नग	170000/– लाख
	सिंघासन 3 नग	12000/– हजार
	मान स्तम्भ 4 नग	35000/– हजार
8.	छोटे मंदिर के नेमिनाथ भगवान की वेदी पर प्रतिमायें एवं सामग्री	
	छत्र 11 नग	66000/– हजार
	सिंघासन 6 नग	24000/– हजार
9.	चाँदी की शांतिधारा की झारीं 12 नग	1100000/– लाख
10.	चांदी की पान्डूकशिलायें 04 नग	1300000/– लाख
11.	अभिषेक चाँदी कलश 16 नग	180000/– लाख
12	गंदोदक चांदी की गुण्ड 2 नग	600000/– लाख
13.	पूजा वर्तन 55 सेट	55000/– हजार
14.	टेबिल स्टील की 24 नग	24000/– हजार
15.	चटाई 20 नग	16000/– हजार
16.	वर्तन स्टेण्ड 1 नग	1000/– हजार
17.	बैंक खाते में राशि	1142350/– लाख

अशोक कुमार सेन, रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-750)

न्यायालय, रजिस्ट्रार, ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पाटन, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

पाटन, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा–5 के तहत)

क्र.–432–अ.वि.अ.–रीडर–लोकन्यास–2025–प्र.क्र.01–बी–113–2025–26.–चूंकि, श्री अश्वनी कुमार तिवारी (संजय) पिता श्री उमाशंकर तिवारी, निवासी–ग्राम मुड़िया, तहसील पाटन, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश द्वारा श्री खेरमाई मंदिर, ग्राम मुड़िया, तहसील पाटन, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन–पत्र मेरे न्यायालय में 28 जनवरी 2026 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अतः मैं मानवेन्द्र सिंह राजपूत, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर अपने न्यायालय में दिनांक 28 जनवरी 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के द्वारा यथा जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर अर्थात नियत दिनांक. 28 जनवरी 2026 को दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा और न्यायालय में मेरे समक्ष उपस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियां या सुझाव को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा :–

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	श्री खेरमाई मंदिर ग्राम मुड़िया तहसील पाटन, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
(अ) चल संपत्ति	–
(ब) अचल संपत्ति	ग्राम मुड़िया प.ह.नं.–53, तहसील पाटन, जिला जबलपुर स्थित कृषि भूमि, खसरा नंबर 299, रकबा 0.7300 हे. कृषि भूमि.

जारी दिनांक 30 दिसम्बर–2025
नियत दिनांक 28 जनवरी–2026
(G-751)

मानवेन्द्र सिंह राजपूत, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 6 जनवरी 2026

क्रमांक–परि.–2026–क्यू.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कृष्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पालकी	734 / 06–02–2008	419 / 21–03–2023
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नौघई	847 / 28–02–2013	420 / 21–03–2023
3.	दिनकर प्राथमिक प्रिटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा.	1065 / 31–01–2017	415 / 21–03–2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 6 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-752) **रश्मि धुर्वे,** परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 6 जनवरी 2026

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत)

क्र. क्यू–2026.– निम्नलिखित संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा–69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जाट समाज साख सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा	1049/27–01–2017	274/22–03–2019
2	डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्राथ. बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज.	793/18–06–2012	416/21–03–2023
3	प्रजापति समाज ईटभट्टा सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज.	763/23–09–2010	413/21–03–2023
4	महिला बहु, सहकारी संस्था मर्यादित, नहारिया	646/18–11–2002	278/22–03–2019
5	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भाटनी	709/04–05–2005	692/23–05–2016
6	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेहलोट	1043/08–06–2016	277/22–03–2019
7	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बूढ़ीबागरोद	831/08–02–2012	407/21–03–2023
8	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रकोली	807/20–11–2012	410/21–03–2023
9	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निपानिया.	1099/05–07–2017	412/21–03–2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा (उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा) में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 07 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा–पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 6 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(G-753) **पूनम साकेत,** परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 6 जनवरी 2026

क्र.–परि.–2026–क्यू.– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौपडा	869/30.03.2013	401/21.03.2023
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिसराई	879/03.07.2013	402/21.03.2023
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रमपुरा	884/29.07.2013	405/21.03.2023
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कांकलखेड़ी	870/30.03.2013	406/21.03.2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय–साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थायें विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 06 जनवरी 26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-754) **एम.एस. भदौरिया,** परिसमापक एवं वरि. सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 05 जनवरी 2026

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम–57 (ग) को अन्तर्गत)

क्र.–क्यू.–2026.–निम्नलिखित संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा	310/28.07.1987	639/11.05.2016
2.	भारत सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, पौहरा	171/16.09.1970	1339/07.06.1988
3.	हरि, सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, डाबर	181/19.11.1970	278/17.09.1975
4.	परसुराम गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा	307/22.05.1987	776/24.06.2016
5.	काष्ठकला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा	137/20.02.1969	329/09.03.2006
6.	श्री राम मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी	264/28.03.1985	1510/25.06.1992
7.	जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्म. साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा.	325/07.05.1988	774/26.06.2016
8.	खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी	351/16.11.1990	592/30.04.2016

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) को अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय, साक्ष्य के यदि कोई हो, जो मुझे कार्यालय, परिसमापक, संहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा (उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा) में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये सम्बंधित दावेदारों स्वयं दायित्याधीन होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा–पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पदमुद्रा से जारी करता हूं.

(G-755) **सुरेश बरकड़े,** परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 6 जनवरी 2026

क्र.परि.–2026–क्यू.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्न लिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र. (1)	परिसमापित संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक (4)
1.	सम्राट अशोक श्रमठेका सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा	508/21.10.94	734/08.06.2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पहो	904/24.02.2014	735/08.06.2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बराखेडा	936/19.08.2014	736/08.06.2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुलावरी	916/29.03.2014	513/24.03.2017
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरी	1013/30.06.2015	806/13.06.2017
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मटयाई	922/08.05.2014	391/21.03.2023
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पोतला	963/20.10.2014	392/21.03.2023
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मढीपुर	899/27.01.2014	394/21.03.2023
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुआखेडी	818/26.12.2012	395/21.03.2023
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बहरयाई	859/28.03.2013	396/21.03.2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय–साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होगें. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे

आज दिनांक 06 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-756) **के.सी. यादव,** परिसमापक एवं वरि. सहकारी निरीक्षक.

विदिशा, दिनांक 6 जनवरी 2026

क्र.–परि.–2026–क्यू.– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्न लिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा	563/24.08.2001	411/21.03.2023
2.	प्राथमिक सार्वजनिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, विदिशा.	757/18.06.2010	423/21.03.2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय–साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होगें. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा–पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 06 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-757) **योगेन्द्र सोनी**, परिसमापक एवं वरि. सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 6 जनवरी 2026

क्र.–परि.–2026–क्यू.–मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्न लिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ब्राहम्ण समाज साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा	4317/27.05.1941	492/06.06.2013
2.	हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, ऊहर	166/09.09.1970	2914/14.10.1982
3.	हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, चकजामनपुर	169/09.09.1970	2786/24.06.1981
4.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, मांगरोद	164/09.09.1970	1070/10.05.1991
5.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, खेरूआ	113/29.11.1963	130/04.06.1969
6.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, सकरोली	13/18.12.1962	1508/25.06.1992
7.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, कुरावद	12/26.11.1962	1509/25.09.1992

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय–साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होगें. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 06, जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-758) **मनोहर रजक,** परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, लटेरी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 8 जनवरी 2026

क्र.–परि.–2026–क्यू.– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र. (1)	परिसमापित संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक (4)
1.	आदर्श चर्म सहकारी समिति संस्था मर्या., लटेरी	496/02.07.1993	1312/18.09.1998
2.	नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., लटेरी	876/09.04.2013	1923/23.12.2017
3.	तिलहन उत्पा. सहकारी समिति मर्या., ओखलीखेड़ा	412/19.11.1991	1881/29.10.2001
4.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., मसूडी	576/05.12.1998	10/05.01.2006
5.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., धूमगिर	655/10.12.2002	688/23.05.2016
6.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बरेंडा	667/22.08.2003	79/16.01.2017
7.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बैरागढ़	744/25.07.2009	30.03.2017
8.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., कोलुआपठार	854/04.03.2013	409/21.03.2023
9.	शिल्प उधोग सह. संस्था मर्या., बासौदा	91/25.09.1992	584/30.04.2016
10.	संयुक्त कृषि सामु सह समिति मर्या., अम्बानगर	09/13.09.1962	2931/24.06.1991
11.	संयुक्त कृषि सामु सह. समिति मर्या., रघुनाथपुर	10/13.09.1962	1505/25.06.1992.
12.	संयुक्त कृषि सामु सह. समिति मर्या., पचमा	11/06.11.1962	4067/06.11.1981
13.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., मडदेवरा	845/28.02.2013	777/25.06.2016

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय–साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होगें. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा–पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 08 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-759) **अरविंद कुमार रघुवंशी,** परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

कार्यालय–123, श्रम शिविर, अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.–कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	अमृत मर्केन्टाईल साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.	146/05.09.2013	4075/05.12.2025 (संशोधित आदेश).
2.	मानव सेवा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.	128/05.09.2013	4074/05.12.2025 (संशोधित आदेश).
3.	चित्रांश साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.	127/05.09.2013	4073/05.12.2025 (संशोधित आदेश).
4.	मर्हिषी श्रग साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.	67/05.09.2013	4072/05.12.2025 (संशोधित आदेश).
5.	आर्दश महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.	42/05.09.2013	4071/05.12.2025 (संशोधित आदेश).

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 22 दिसम्बर 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

नितेश कोगे, परिसमापक एवं सब–ऑडिटर.

(G-760)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितिंया, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 16 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57–सी के अंतर्गत]

क्र.–1526.–उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन मे लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :–

क्र.	संस्था नाम	पंजीयक क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहगांव	AR/GWR/994 05–01–1992	616/01–05–2025
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गड़ाजर	AR/GWR/1001 03–03–2012	617/01–05–2025
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पैरा	AR/GWR/1003 29–06–2012	618/01–05–2025
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चरख़ा	AR/GWR/429 26–12–2012	619/01–05–2025
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वेला	AR/GWR/442 10–10–2014	620/01–05–2025
6.	दीन दयाल बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., गोधारी (सांरवनी)	DR/GWR/719 23–05–2018	646/01–05–2025

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना–पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय–प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नही होंगी तथा संस्था की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु.

अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 16 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-761) **दिनेश सिंह यादव,** परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1461.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2024–424, सीहोर, दिनांक 14 मई 2024 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी दोराहा, दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1532, दिनांक 07 फरवरी 2011 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.एस. रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–1–99–पंद्रह–1 सी., दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत मध्यप्रदेश महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1532, दिनांक 07 फरवरी 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन कमांक 1532, दिनांक 07 फरवरी 2011 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-762)

सीहोर, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1462.–इस कार्यालय का आदेश क्र–परिसमापन–2024–422, सीहोर, दिनांक 14 मई 2024 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतोरनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1616, दिनांक 26 जुलाई 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री आर.एस. रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी., दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत मध्यप्रदेश महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतोरनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1616, दिनांक 26 जुलाई 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतोरनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1616, दिनांक 26 जुलाई 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-763)

सीहोर, दिनांक 5 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2026.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591, सीहोर, दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा मेकलसुता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नीनोर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1614, दिनांक 07 जलाई 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाऐं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत मध्यप्रदेश मेकलसुता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नीनोर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1614, दिनांक 07 जुलाई 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से मेकलसुता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नीनोर, तहसील बुधनी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1614, दिनांक 07 जुलाई 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 05 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-764)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1428.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591, सीहोर, दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा जनता बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, कोलीपुरा, कस्बा सीहोर, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1571, दिनांक 3 अक्टूबर 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अर्चना अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत जनता बुनकर सहकारी संस्था गर्यादित, कोलीपुरा, कस्बा सीहोर, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1571, दिनांक 03 अक्टूबर 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से जनता बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, कोलीपुरा कस्बा, सीहोर तहसील व जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1571, दिनांक 03 अक्टूबर 2011 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-765)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1429.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–578, सीहोर, दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, लुनियापुरा, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1954, दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अर्चना अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, लुनियापुरा, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1954, दिनांक 10 दिसम्बर 2019 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, लुनियापुरा, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1954, दिनांक 10 दिसम्बर 2019 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-766)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1430.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591, सीहोर, दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा सिद्ध विनायक क्रय–विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सेवनिया, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1931, दिनांक 02 मार्च 2019 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अर्चना अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत सिद्ध विनायक क्रय–विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सेवनिया, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1931, दिनांक 02 मार्च 2019 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से सिद्ध विनायक क्रय–विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, सेवनिया, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1931, दिनांक 02 मार्च 2019 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-767)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1431.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–578 सीहोर, दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा श्री गणेश बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खामलिया, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1573, दिनांक 05 अक्टूबर 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अर्चना अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत श्री गणेश बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खामलिया, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1573, दिनांक 05 अक्टूबर 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से श्री गणेश बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, खामलिया, तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1573, दिनांक 05 अक्टूबर 2011 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-768)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1432.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591 सीहोर, दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा किसान कल्याण बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, धबोटी तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1958, दिनांक 13 मार्च 2020 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अर्चना अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत किसान कल्याण बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, धबोटी तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1958, दिनांक 13 मार्च 2020 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से किसान कल्याण बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, धबोटी तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1958, दिनांक 13 मार्च 2020 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-769)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1433.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–578, सीहोर, दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा सर्वधर्म प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, कस्बा सीहोर तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1813, दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अर्चना अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत सर्वधर्म प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, कस्बा सीहोर तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1813, दिनांक 31 दिसम्बर 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से सर्वधर्म प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, कस्बा सीहोर तहसील व जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1813, दिनांक 31 दिसम्बर 2014 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-770)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1434.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–1382, सीहोर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमला मज्जू, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 774, दिनांक 18 फरवरी 1980 है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमला मज्जू, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 774, दिनांक 18 फरवरी 1980 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमला मज्जू, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 774, दिनांक 18 फरवरी 1980 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-771)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1435.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2023–600, सीहोर, दिनांक 10 मई 2023 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, काहिरी जदीद, तहसील इछावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1358, दिनांक 20 अप्रैल 2007 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, काहिरी जदीद, तहसील इछावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1358, दिनांक 20 अप्रैल 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, काहिरी जदीद, तहसील इछावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1358, दिनांक 20 अप्रैल 2007 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-772)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–1436.–इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–213, सीहोर, दिनांक 20 फरवरी 2024 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुरावर, तहसील जावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 9 नवम्बर 1989 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप–अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुरावर, तहसील जावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 9 नवम्बर 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुरावर, तहसील जावर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 9 नवम्बर 1989 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-773)

सुधीर कैथवास, प्रभारी उप पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2026—माघ 3, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.